



# छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

विज्ञापन क्रमांक 02@2012@परीक्षा@दिनांक 22/12/2012

प्रकाशन की तिथि 26@12@2012

## राज्य सेवा परीक्षा – 2012

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 09@06@2013, रविवार प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 12.00 बजे तथा अपरान्ह 3.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे तक

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 10/01/2013 अपरान्ह 12.00 बजे से दिनांक 09/02/2013 रात्रि 12.00 बजे तक

### महत्वपूर्ण

- राज्य सेवा परीक्षा 2012 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गए किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। मुख्य परीक्षा/साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2012 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10/01/2013 को दोपहर 12.00 बजे से 09/02/2013 रात्रि 12.00 बजे तक [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद से 10 दिवस के भीतर अर्थात् दिनांक 10/02/2013 अपरान्ह 12.00 बजे से 19/02/2013 रात्रि 12.00 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। इस हेतु रुपये 30/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/-) का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी त्रुटि सुधार सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) के माध्यम से करेंगे उन्हें त्रुटि सुधार शुल्क (रुपये 30/-) सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) को नगद में देना होगा।
- श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि रुपये 100/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

1/2 छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (यथा संशोधित) एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधीन राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 (जिसे एतद् पश्चात् परीक्षा नियम-2008 कहा जायेगा) के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों में से निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 09@06@2013 को आयोजित की जाने वाली 'i kj f h k d i j h k k' के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2/2 राज्य सेवा परीक्षा नियम-2008 के i f j f ' k ' V & , d में परीक्षा योजना, i f j f ' k ' V & n k s में प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम, i f j f ' k ' V & r h u में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम, i f j f ' k ' V & p k j में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी एवं i f j f ' k ' V & i k p में सुविधा केन्द्र (Facilitation Centre) की जानकारी उल्लेखित है। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी स्वयं परीक्षा नियम-2008 एवं अन्य निर्देशों एवं विज्ञापन की शर्तों को पढ़ कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के किसी भी चरण (Stage) में अथवा प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/गलत पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

1/3½ सेवाओं/पदों का विवरण :-

Sl. No.	Post Name	Qualification				Experience				Age	Grade	Pay Band	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
01	उप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	14	04	10	05	04	01	03	02	-	-	33	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
02	उप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग	06	02	05	02	02	01	01	01	-	-	15	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
03	लेखा अधिकारी वित्त एवं योजना विभाग	02	-	02	01	01	-	-	-	-	-	05	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
04	वाणिज्यिक कर विभाग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
05	वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	02	-	01	01	-	-	-	-	-	-	04	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
06	श्रम विभाग	02	-	02	01	01	-	-	-	-	-	05	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
07	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	02	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
08	जनशक्ति नियोजन विभाग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
09	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	04	01	03	01	01	-	01	-	-	-	09	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
10	महिला एवं बाल विकास विभाग	02	02	01	01	01	-	01	-	-	-	06	15600-39100+ 5400 ग्रेड पे
11	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	13	04	09	04	04	01	03	01	01-अना	-	30	9300-34800+ 4400 ग्रेड पे
12	आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	02	-	02	01	-	-	-	-	-	-	05	9300-34800+ 4400 ग्रेड पे
13	महिला एवं बाल विकास विभाग	12	04	09	04	04	01	03	01	01-अना	-	29	9300-34800+ 4300 ग्रेड पे
14	वित्त एवं योजना विभाग	11	03	08	03	03	01	02	01	01-अना	01-अना	25	9300-34800+ 4300 ग्रेड पे
15	नायब तहसीलदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	02	-	01	01	01	-	-	-	-	-	04	9300-34800+ 4200 ग्रेड पे
16	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग	02	-	02	01	01	-	-	-	-	-	05	5200-20200+ 2800 ग्रेड पे
17	वाणिज्यिक कर विभाग	06	02	05	02	02	-	01	-	-	-	15	5200-20200+ 2800 ग्रेड पे
18	वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग	06	02	05	02	02	-	01	01	-	-	15	5200-20200+ 2800 ग्रेड पे
19	गृह (जेल) विभाग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	5200-20200+ 2400 ग्रेड पे

दिये ; कु &

210

Vhi %& %½ पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

%i½ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी "अस्थिबाधित" विकलांग ही मान्य होंगे।

%iii½ यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद, उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेंगे ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिये वे आरक्षित हैं।

परन्तु यह और भी कि यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पदों पर निर्धारित संख्या में महिलायें, मेरिट के आधार पर ही उपलब्ध हो जाती हैं तो उस प्रवर्ग में महिलाओं के आरक्षित पदों के विरुद्ध उक्त प्रवर्ग की किसी अन्य महिला अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाएगा।

%iv½ foKki u dh ij k & 3 ea mYyf[kr inka dh l a; k , rn i 'pkr-l e; & l e; ij 'kkl u l s i klr l p u k @ t k u d k j h ds v k / k j ij i f j o r l u h; g k s x h , o a m D r f L F k r e a विज्ञापित पदों के अलावा परीक्षा नियम-2008 के नियम-1 में उल्लेखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में आयोग द्वारा इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्धिपत्र द्वारा प्रकाशित की जायेगी एवं ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित नहीं किये जायेंगे बल्कि इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों के अभ्यर्थी ही पात्र रहेंगे।

%v½ i k j f h k d i j h { k k ds v k o n u , o a c k n e a i L r r g k u s o k y s e f ; i j h { k k ds v k o n u e a n h x b l t k u d k f j ; k a e a f h k u r k i k b l t k u s i j v k o n u v L o h d r f d ; k t k l d s k A

%vi½ v R ; r e g R o i m k l %&

अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक तथा केन्द्र आदि को एक बार त्रुटि सुधार के बाद किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थी से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन आयोग में नस्तीबद्ध किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए प्रवर्ग के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा।

%vii½ m i j k D r f o K k f i r i n k a d s f y , f d ; k t k u s o k y k p ; u e k u h ; m P p U ; k ; k y ; ] f c y k l i j e a n k ; j ; k f p d k v k a % Ø e k d 5 9 1 @ 2 0 1 2 ] f j v f i V h ' k u % h h Ø e k d 5 9 2 @ 2 0 1 2 ] f j v f i V h ' k u % h h Ø e k d 5 9 3 @ 2 0 1 2 r F k f j V h f i V h ' k u % h h Ø e k d 5 9 4 @ 2 0 1 2 % e a i k f j r g k u s o k y s v f r e v k n s k @ f u . k z d s v / ; k / k h u j g s x h , o a e k u u h ; m P p U ; k ; k y ; d s v f r e v k n s k @ f u . k z d s v u d k j f o K k f i r f d ; s x ; s i n k a d h o x b k j f j f D r ; k a d h l a ; k e a i f j o r l u H k h g k s l d r k g a

%viii½ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिए आरक्षित है।

%ix½ छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर (अन्य प्रदेश) के मूल/स्थानीय निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान विचारित किये जायेंगे, आरक्षित पदों के विरुद्ध नहीं।

%x½ छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल/स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के

हैं वे ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करें।

%xi½ जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित पद के लिये, यदि अनारक्षित पद विज्ञापित हुए हैं तो अनारक्षित अभ्यर्थी के साथ विचारित किये जाएंगे।

%xii½ ऑनलाइन आवेदन में अपना प्रवर्ग अंकित करने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रवर्ग में परिवर्तन हेतु प्रेषित कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा।

%xiii½ i k j f h k d i j h { k k ds d b n z %&  
d k M i j h { k k d b n z d k L F k k u

01 अंबिकापुर (सरगुजा)

02 बैंकुण्टपुर (कोरिया)

03 बिलासपुर

04 धमतरी

05 दुर्ग-मिललाई

06 दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)

07 जगदलपुर (बस्तर)

08 जांजगीर-चांपा

09 जशपुर

10 कबीरधाम (कवर्धा)

11 कांकेर (उत्तर बस्तर)

12 कोरबा

13 महासमुन्द

14 रायपुर

15 रायगढ़

16 राजनांदगांव

%xiv½ e f ; i j h { k k ds d b n z %&

d k M i j h { k k d b n z d k L F k k u

01 अम्बिकापुर (सरगुजा)

02 बिलासपुर

03 जगदलपुर (बस्तर)

04 रायपुर

Vhi %& %½ आयोग द्वारा अभ्यर्थी को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र आबटित किया जाएगा एवं केन्द्र परिवर्तन हेतु अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

%xv½ v k ; k x f u / k k f j r i j h { k k d b n z e a d e h ; k o f ) H k h d j l d r k g a

%xvi½ e f ; i j h { k k g r q v k o n u %&

प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिये पात्र होंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

U ; u r e ' k s k f . k d ; k k ; r k :-

अभ्यर्थी के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या fo' ofo | ky ; v u p k u v k ; k x v f / k f u ; e 1 9 5 6 d h / k j k 3 d s v / k h u f o ' o f o | k y ; e k u h x b l f d l h ' k s k f . k d l d F k k d h m i k f / k % M x h h g k u h p k f g ; s v F k o k m l d s l e d { k v g r k g k u h p k f g ; a

Vhi %& %½ ऐसे अभ्यर्थी जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठें हों या बैठेंगे जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की इस परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जायेंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है वे भी आवेदन कर सकते हैं या ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किये गये हों मुख्य परीक्षा के लिये अपने v k l u y k b u v k o n u d j r s l e ; f u / k k f j r v g r k g k u k v f u o k ; l g s , o a f u / k k f j r i e k . k i = k a d s f y , f u / k k f j r L F k k u i j l a f / k r i j h { k k m R r h . k l d j u s l a k h i e k . k i = d s f o d Y i d k s p a u k g k s k A

- 1/4i1/2** ऐसे अभ्यर्थी भी जिनके पास ऐसी व्यवसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हो जो राज्य शासन द्वारा व्यवसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
- 1/81/2** vk; q dh x.kuk grq fu/kkfr frffk %  
अभ्यर्थियों के jkT; l ok i jh{kk 2012 के लिये न्यूनतम एवं अधिकतम आयु (जिसमें इसके आगे किये गये उल्लेख अनुसार आयु सीमा में छूट भी शामिल है) की गणना fnukd 01-01-2013 के संदर्भ (Reference) में की जायेगी, अतएव अभ्यर्थी, आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह उक्त तिथि के संदर्भ में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत है।  
vk; q l hek , oa vk; q l hek ea Nw/a %&
- 1/8.11/2** jkT; vkj {kh l ok ds mi i fyl v/kh{kd ds i nka ds vH; fFkz ka ds fy; s vk; q l hek vk; q l hek ea Nw/a vkj 'kkjhfd ekud fuEkuq kj gksx %&
- 1/4A1/2** vk; q l hek - छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-3-2/2002/1/3 दिनांक 15.06.2010 के कंडिका-4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भरती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार mi i fyl v/kh{kd grq vk; q l hek 21 l s 28 o"lz fu/kkfr dh xbl gA
- 1/4B1/2** vk; q l hek ea Nw/a %&
- 1/41/2** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गेर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक पाँच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 1/4ii1/2** कोई अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा दी जाएगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।
- 1/4iii1/2** छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी।
- 1/4iv1/2** कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जायेगी, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से rhu o"l से अधिक न हो।  
Li "Vhdj .k%- शब्द "छटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम छह मास की कालावधि तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।
- 1/4v1/2** स्वयंसेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिये 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- 1/4vi1/2** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 1/4vii1/2** विधवा-परित्यक्ता अभ्यर्थियों को 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी।
- 1/4viii1/2** परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने नाम पर "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले अभ्यर्थियों (छत्तीसगढ़ राज्य के आवेदकों) को उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- 1/4ix1/2** आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पति के
- सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- 1/4x1/2** राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं\*\* को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- 1/4C1/2** mi i fyl v/kh{kd ds fy; s 'kkjhfd eki nM %&
- 1/41/2** Apkbl & 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक : (केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए) 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)।
- 1/4ii1/2** l huk & बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर, फुलाने पर 89 सेंटीमीटर, अभ्यर्थी के बगैर फुलाए हुए और फुलाए हुए सीने के बीच कम से कम 5 सेंटीमीटर का अन्तर होना चाहिए, इस मामले में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
- 1/4iii1/2** अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से fodykx ugha होना चाहिए।
- 1/4iv1/2** अभ्यर्थी चिकित्सीय दृष्टि से योग्य (Medically Fit) होना चाहिये और दृष्टि जाँच (Vision Test) में अल्पदृष्टि नहीं होनी चाहिए। उसकी समस्त रंगों के प्रति स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए। उसे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम नहीं होना चाहिए।
- 1/4v1/2** यदि अभ्यर्थी उप पुलिस अधीक्षक के पद के लिये उपरोक्तानुसार निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण नहीं करते तो वे उक्त पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अतएव अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते समय स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हैं। इस हेतु जो अभ्यर्थी उक्त पद के लिये अपना विकल्प देते हैं, उनसे मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के पूर्व शपथ पत्र लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् उनके द्वारा दिया गया कोई भी अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
- 1/8.21/2** mi i fyl v/kh{kd ds vfrfjDr vU; i nka ds fy; sfu/kkfr vk; q l hek fuEkuq kj gS %&
- 1/4A1/2** vk; q l hek & N-x- 'kkl u l kekU; iz kkl u foHkx ds i fji = Øekad , Q 3&2@2002@1&3 jk; i g fnukad 15.06.2010 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 23.12.2011 के प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार आयु सीमा होगी :-
- 1/41/2** vH; Fkhz }j k 21 o"lz dh vk; q i w l dj y h gks fdUr q 30 o"lz l s vf/kd u gkj i jUr q N'Ykh l x + ds emy@LFkkuh; fuokl h vH; fFkz ka ds fy, mPprj vk; q l hek 30 o"lz ds LFkku i j 35 o"lz gksxhA
- 1/4ii1/2** उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह (पुलिस) विभाग के (अधिकारी/कर्मचारियों) के लिये लागू नहीं रहेंगे। गृह (पुलिस) विभाग में सीधी भरती के पदों हेतु गृह (पुलिस) विभाग के भरती नियमों में जो आयु सीमा संबंधित व्यवस्था निर्धारित/प्रावधानित है उसी अनुरूप आयु सीमा सीधी भरती के लिये लागू रहेगी।
- 1/4iii1/2** अन्य विशेष वर्ग जैसे - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है, वे छूट लागू रहेगी परन्तु mijkDr l Hkh i d kj ds Nw/ dks l fefyr djus ds ckn vf/kdre vk; q l hek 45 o"lz l s vf/kd ugha gksxhA
- 1/4iv1/2** छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडल के कर्मचारियों की अधिकतम आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना कार्यान्वयन समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी। i jUr q ; g fd vkj f {kr ox l vuq fpr tkfr@vuq fpr tutkfr@vU; fi NMk ox l fodykx , oa efgyk@fo/kok@i fjr; Drk ox l vkfn ds vkondka dks muds ox l dh feyusokyh vk; q ea Nw/ ; Fkkr feyrh jg xhA i jUr q ; g vkj Hkh fd bl Nw/ ds ckn vf/kdre vk; q fd l h Hkh i f j LFkfr; ka ea 45 o"lz l s vf/kd

ugha gkuh pkfg, A  
 1/4 1/2 छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2004 के नियम-5 के तहत संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

1/4 3/4 vk; q l hek ea Nw/a %&

1/4 1/2 jkT; l ok ijh{kk fu; e&2008 1/4; Fkk l d kkr/kr 1/2 ds fu; e&5 1/4 x 1/2 1/4 k 1/2 ea mYyf [kr Øekd 1/4, d 1/2 l s 1/4 v Bkj g 1/2 rd dh Nw/a vH; Fkhz dks nh tk; schA fdl h Hkh fLFkr ea vf/kdre vk; q 45 o"kl l s vf/kd ugha gkschA

1/4 i 1/2 fu% kDr tuks dks ftudh 'kkjhfd fodykark 40 ifr'kr ; k ml l s vf/kd gkj dpy rrrh; Jskh ds inka grq 1/4 vf/kdre vk; q l hek ea 10 o"kl rd dh Nw/ gkschA

1/4 iii 1/2 vL; inka ds fy, 'kkjhfd eki nM jkT; l ok ijh{kk fu; e ds fu; e&9, oal rcf/kr foHkx ds HkrhZ fu; eka ea mYyf [kr gA

1/4 0 1/2 fu; kDrk dh vuki flk %&

सभी अभ्यर्थी चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) उनको अथवा लोक सेवा उद्यमों के अधीन कार्यरत है, उनको यथा स्थिति मुख्य परीक्षा के समय यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख से आवश्यक अनुमति ले लिया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियुक्ता से उसके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत करते हुये उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा।

1/4 0 1/2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन में दी गई विभिन्न सुविधाएं dpy NÜkhI x<+ ds emy@LFkkuh; fuokl h rFkk NÜkhI x<+ 'kkl u }kj k ?kks'kr अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के लिये ही लागू होगी। vL; in s k ds vuq fpr tkfr] vuq fpr tutkfr , oa vL; fi NMk oxl ds vH; fFkz ka dks vukj f{kr Jskh dk ekuk tkosk।

Vhi %& समस्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित Nkuchu l fevr }kj k l R; kfir tkfr iek.k i = बनाकर तैयार रखें। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में यथास्थान छ0ग0 शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें। निर्धारित स्थान पर संबंधित प्रमाण पत्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जाने की अवस्था में अभ्यर्थी को आयोग द्वारा छूट देना संभव नहीं होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जा सकेगा।

1/4 1 1/2 अन्य निर्देश@जानकारी

1/4 1/2 प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/विकलांगता/विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र

संलग्न न करें। l eLr i ek.k i = eq; ijh{kk ea l Oy vH; fFkz ka }kj k l k{krRdkj ds i d l rFkk vuq ek.ku OkeZ ds l kFk i Lr r djuk vko'; d gkskA जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (eligibility) की जांच की जाएगी।

1/4 i 1/2 प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होती है। अभ्यर्थियों के अंतिम चयन में इस परीक्षा के प्राप्तियों को नहीं जोड़ा जाएगा।

1/4 iii 1/2 प्रारंभिक परीक्षा की अंक सूचियां जारी नहीं की जाती हैं।

1/4 v 1/2 परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक या प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग का प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न-पत्र को क्षति पहुंचाना, निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देश की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, धमकी देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना आदि को दण्डनीय माना जायेगा।

1/4 1/2 आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्न्यूंकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है और इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

1/4 vi 1/2 यदि अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग कार्यालय को तत्काल भेजी जाए, यद्यपि आयोग पता परिवर्तन का पूरा प्रयास करता है किन्तु इस मामले में उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।

1/4 vii 1/2 अभ्यर्थी को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, प्रवर्ग, परीक्षा का नाम, आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।

1/4 viii 1/2 परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित है।

1/4 x 1/2 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किए जाने के पश्चात् परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची अभ्यर्थियों को सामान्य डाक से उनके आवेदन पत्र में दर्शाये वर्तमान पते पर भेजी जाती है तथा आयोग की वेब-साइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) में भी उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग द्वारा मान्य पहचान चिन्ह एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अंक सूची नहीं भेजी जायेगी, किन्तु यदि किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा भेजी गई अंक सूची किसी कारण वश प्राप्त नहीं होती है तो अंक सूची की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्राप्त करने के लिए रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने के लिए पर्याप्त डाक टिकट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रुपये 25/- रेखांकित बैंक ड्रापट सचिव, छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर के नाम से भेजें। अंक सूची की द्वितीय प्रति उन्ही अभ्यर्थी को भेजी जायेगी जिनके आवेदन चयन परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त होंगे।

1/4 x 1/2 igpku fplg %&

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में किसी भी लाइन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। fy[kus ds fy, dpy dkyh L; qgh dk i z kx dja उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर वह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी।

1/4 2 1/2 r'rh; Jskh ds inka ds fy, fo'kks' : i l s NÜkhI x<+ h Hk'kk 1/4 ckyh 1/2 vFkok LFkkuh; cky; ka dk i ; klr Kku dks egRo nrs gq s l k{krRdkj ds vad fn; s tk; xA

1/4 3 1/2 अंतिम चयन सूची आयोग द्वारा जारी किये जाने के पश्चात् मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आयोग की वेब-साइट

www.psc.cg.gov.in में भी उपलब्ध करायी जायेगी। अनुचित साधन प्रयोग, कम/अधिक आयु, गलत जानकारी इत्यादि देने वाले प्रकरणों के कारण जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी। उनके प्राप्तियों की जानकारी वेब-साईट में दर्शित नहीं की जाएगी।

144/ यदि आवश्यक हुआ तो विज्ञापन के संबंध में सूचनायें आयोग द्वारा "रोजगार और नियोजन" अथवा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापित प्रकाशित कर अथवा आयोग की वेब-साईट में यथा समय दी जायेगी।

145/ **Ur egROIwk :-**

145/ विकलांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारी कर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

146/ दृष्टिहीन तथा अन्य विकलांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अशासकीय चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्रों के लिये 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय से कम से कम 15 दिन पूर्व संपर्क करें। इसके लिये स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है।  
ijh{k dlnz ij dkbz dk; bkgb bl l a/k eaughadh tkoxhA  
147/ छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है:-

vflkopu 14Undertaking1/2 dk i k#i  
ešusjkt; l ok ijh{k 2012 dsfoKki u Øekad 02@2012@  
ijh{k fnukad 22@12@2012 dsvr{xr vlonu i = vk; ksx  
dks iLrqr fd; k gsrFkk ešHkriwz l fud gA vr% Hkriwz  
l fud ds fy, vkj{kr in ds fo#) ešs Hkriwz l fud  
Jskh ds vr{xr ekU; fd; k tk; A Hkriwz l fud gkus dk  
i ek.k&i = l ayXu gA  
gLrk{kj -----  
uke -----  
14Dr vflkopu i = , oai ek.k&i = dby l k{kRdkj ds iwz  
l Lrqr fd; s tkus okys vuq ek.ku i = ds l kFk l ayXu dj#

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो वर्तमान में शासकीय सेवा में हैं उन्हें भूतपूर्व सैनिक को देय छूट का लाभ देय नहीं होगा। यदि ऐसे उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के अधीन कार्यरत हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को लागू अधिकतम आयु सीमा के प्रावधान लागू होंगे।

146/ jkT; l ok i kjfHkd ijh{k grq vk; ksx dks dkbz i ek.k i =@nLrkost Hkstus dh vko'; drk ugha gA

147/ राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर ही प्रावीण्य सूची बनेगी। इस प्रावीण्य सूची में विज्ञापित पदों के वर्गवार पंद्रह गुने तथा अंतिम चयनित अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जायेगा जो मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह होंगे।

148/ विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्र साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों से प्राप्त किया जावेगा तथा इसी अग्रमान्यता पत्र के अनुसार गुणानुक्रम में अभ्यर्थियों का चयन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा अग्रमान्यता पत्र प्रस्तुत कर देने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार किया जायेगा।

149/ साक्षात्कार एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा अग्रमान्यता पत्र में दिये अधिमान के क्रम अनुसार पद आंबटित किये जायेंगे। अग्रमान्यता पत्र में जिन पदों के लिए अभ्यर्थी द्वारा अधिमान नहीं दिया जायेगा उन पदों के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।

1420/ vugrk& छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

141/ कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

142/ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

143/ कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

144/ कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

145/ कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

146/ कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

सही/—

l fpo

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,

रायपुर

## राज्य सेवा परीक्षा नियम

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/एक/1, दिनांक 27.08.2008, सहपठित संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक, दिनांक 23/12/2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिए राज्य सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी:-

### 1. लोक सेवा आयोग

1. राज्य सिविल सेवा (उप-जिलाध्यक्ष)	द्वितीय
2. राज्य पुलिस (उप-अधीक्षक, पुलिस)	द्वितीय
3. राज्य लेखा सेवा	द्वितीय
4. वाणिज्यिक कर अधिकारी	द्वितीय
5. जिला आबकारी अधिकारी,	द्वितीय
6. सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ,	द्वितीय
7. जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण	द्वितीय
8. श्रम अधिकारी	द्वितीय
9. जिला पंजीयक	द्वितीय
10. रोजगार अधिकारी	द्वितीय
11. क्षेत्र संयोजक	द्वितीय
12. खंड विकास अधिकारी	द्वितीय
13. सहायक संचालक, खाद्य/खाद्य अधिकारी	द्वितीय
14. परियोजना अधिकारी, सामाजिक/ग्रामीण गहनसाक्षरता परियोजना	द्वितीय
15. अधीनस्थ सिविल सेवा (नायब तहसीलदार)	तृतीय
16. सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख	तृतीय
17. वाणिज्यिक कर निरीक्षक	तृतीय
18. आबकारी उप-निरीक्षक	तृतीय
19. परिवहन उप-निरीक्षक	तृतीय
20. सहकारिता निरीक्षक	तृतीय
21. सहायक श्रम अधिकारी	तृतीय
22. सहायक जेलर	तृतीय
23. उप-पंजीयक	तृतीय
24. सहायक संचालक जनसंपर्क	द्वितीय
25. प्राचार्य पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान	द्वितीय
26. जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	द्वितीय
27. मुख्य अनुदेशक (आंगनबाड़ी/ग्राम सेविका, प्रशिक्षण केन्द्र)	द्वितीय
28. सहायक संचालक (महिला एवं बाल विकास)	द्वितीय
29. अधीक्षक (संस्थाएं)	द्वितीय
30. परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास परियोजना)	द्वितीय
31. सहायक परियोजना अधिकारी (विषय पोषण आहार कार्यक्रम)	द्वितीय
32. क्षेत्रीय संगठक (एम.डी.एम.)	द्वितीय
33. जिला सेनानी नगर सेना	द्वितीय
34. सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा	द्वितीय
35. अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	द्वितीय
36. छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	तृतीय

2. ; g l a Ør i fr; ksxh i jh{kk fuEu pj .kka ea l a lUu gksxh&
  - jkT; l ok i kjfkkd i jh{kk ftl dsek/; e l s jkT; l ok e d; i jh{kk gsrq mEehnokj ka d k p; u fd; k tk; sxA
  - jkT; l ok e d; i jh{kk }fyf[kr i jh{kk vkj l k{kkRdkj ½ ftl ds }kj k fofkkUu Jf.k; ka dh l okvka rFkk i nka dsfy; smEehnokj ka dk vfre p; u fd; k tk; sxA
- i jh{kk dh ; kst uk rFkk fofkkUu fo" k; ka ds i kB; Øe i fjf' k"V , d] nks rFkk rhu ds v/khUk fn, vuq kj gkxA

¼, d½ समस्त उम्मीदवारों को भले ही उन्होने किसी सेवा/पद विशेष को अधिमान दिया हो, परीक्षा की योजना (परिशिष्ट एक) में उल्लेखित अनुसार उतनी ही संख्या में प्रश्न पत्र देने होंगे। केवल जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण तथा क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मामले में यह आवश्यक होगा कि मुख्य परीक्षा में से समाज शास्त्र को अपने एक वैकल्पिक विषय के रूप में ले।

3. ¼, d½ प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त अंको के अनुसार क्रमिक रूप से रखे जायेंगे, इन उम्मीदवारों में से अधिक से अधिक विभिन्न प्रवर्गों के अधीन कुल पद संख्या के पन्द्रह गुना के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह माना जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तदनुसार घोषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले vukj f{kr ox} अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की सूची-पृथक रूप से तैयार की जायेगी और उनके परिणाम तदनुसार घोषित किये जायेंगे, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिये केवल अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) परीक्षा होगी और उम्मीदवारों के अंतिम चयन के संबंध में इस परीक्षा में प्राप्त अंको पर विचार नहीं किया जाएगा।

vkhk मुख्य परीक्षा में बैठने वाले और आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए जाने वाले ऐसे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के क्रम में रखे जायेंगे। इन उम्मीदवारों में से, विभिन्न सेवाओं के अधीन कुल पद संख्या के तीन गुना के बराबर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार vukj f{kr ox} अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवारों की, जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह पाए गए हो, एक पृथक सूची तैयार की जायेगी।

v rhu ½ v ½ साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें दिए गए कुल अंकों के अनुसार योग्यता क्रम में रखे जायेंगे।

किसी सेवा विशेष के लिए किसी उम्मीदवार की सिफारिश करते समय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आवेदन में उसके द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर यदि कोई हो, सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।

¼½ यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में कोई अधिमान व्यक्त न किया हो तो उसके संबंध में सभी पदों के लिए उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हों।

½½ यदि उम्मीदवार अपने अधिमान वाले किसी पद के लिए अंक प्राप्त करने में सफल न हों उसके संबंध में अन्य पद/पदों के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हैं तथापि उसका विचार उन पदों के लिए नहीं किया जायेगा जिन पदों के लिए उसने अनिच्छा व्यक्त किया हो कि उसका विचार नहीं किया जाये।

¾½ उपर्युक्त सिद्धान्त अनुपूरक सूची तैयार करते समय भी लागू होंगे।

1/10/21\* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची रक्षित रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार पृथक रूप से तैयार की जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार उसके कुल अंकों के आधार पर vukj{kr | phi में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे vukj{kr | phi में दर्शाया जाएगा और उसकी इस शर्त के अधधीन रक्षित रिक्त स्थानों में उसकी गणना नहीं की जाएगी।

4/10/21 आयोग के प्रत्येक पद के लिए प्रमुख सूची में दी गई उम्मीदवारों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक के उम्मीदवारों की एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेगा।

4. आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् शासन उम्मीदवारों के बारे में ऐसी जाँच पड़ताल करेगा, जो वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। शासन उम्मीदवारों की नियुक्ति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. ik=rk | ca|kh 'kr&|d| jk"Vh; rk& उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

1/10/21 U; ure 'kq|k. kd ; kx; rk& उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित / समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1956 की धारा-3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएँ होनी चाहिए।

Vhi 1/4, d| उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा में बैठे हो जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त उम्मीदवारों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की vfuok; |rk gkx|A

Vhi 1/10/21 ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएँ हों जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

1/10/21 vk; q|1/10/21 \* उम्मीदवार प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख के बाद की 1 जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 30 वर्ष से अधिक न हो, किंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी / मूल निवासी आवेदकों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष रहेगी।

1/10/21 परन्तु यह कि राज्य शासन सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल सेवाओं में से किसी सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

1/10/21 ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी:-

1/4, d| अधिकतम पांच वर्ष तक: यदि छत्तीसगढ़ का अधिवासी कोई उम्मीदवार ऐसी जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित की गई हो।

1/10/21 अधिकतम तीन वर्ष तक: यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों में भारतीय मूल के वास्तविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हों:-

1/10/21 बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत प्रवजन किया हो: या

1/10/21 श्रीलंका से जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् भारत प्रवजन किया हो या

1/10/21 यदि उम्मीदवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रवजन किया हो।

1/10/21 अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार ऊपर (दो) में उल्लिखित स्वदेश प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति हो और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा छ.ग. में अधिवासित हो,

1/10/21 अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विधवा हो,

1/10/21 अधिकतम 2 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने नाम पर ग्रीनकार्ड हो,

1/10/21 अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक सी. 10-85-3-1, दिनांक 03.09.1985 के अनुसार आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रवर्तित अन्तर्जातीय विवाह योजना अधीन पुरस्कार प्राप्त युगल में उच्च जाति का हो।

1/10/21 अधिकतम 5 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग, (छत्तीसगढ़) के ज्ञापन क्रमांक-एफ-19-2/2005 / 1-3 रायपुर दिनांक 01.12.2006 के अनुसार राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त, गुण्डाधुर सम्मान प्राप्त, महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ी हो अथवा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो

1/10/21 अधिकतम 3 वर्ष तक : सुरक्षा सेवा कर्मचारी के मामले में, जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशान्त क्षेत्र में किसी फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हो और उसके परिणास्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया हो,

1/10/21 अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (आठ) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

1/10/21 अधिकतम 3 वर्ष तक: ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो वियतनाम से भारतीय मूल को वास्तविक प्रत्यावर्तित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा उम्मीदवार जो वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा उसे जारी किया गया, आपातकाल प्रमाणपत्र धारित कर रहा हो तथा जो वियतनाम से भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो।

1/10/21 अधिकतम 8 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (दस) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

1/10/21 अधिकतम 5 वर्ष तक: ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन्ड आफिसर्स, जिनमें ई.सी.ओ. / एस.एस., सी.ओ. शामिल हैं, के मामले में जिन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों और जिन्हें दुराचरण या अक्षमता अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवा मुक्त किए जाने से भिन्न स्थिति में सेवा पूरी करने पर निर्मुक्त किया गया था, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवावधि उक्त तारीख से छह माह के भीतर समाप्त होने वाली है:-

1/10/21 अधिकतम 10 वर्ष तक: यदि उपर्युक्त श्रेणी (बारह) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

1/10/21 अधिकतम 10 वर्ष तक: महिलाओं के लिए-यहाँ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07.02.1997 में प्रकाशित नियम छ0ग0 सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगा।



¼ Ung½ \* छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी या राज्य शासन के उपक्रम के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी को 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

Vhi %& पद अस्थायी शासकीय कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-2998-सी.आर. 444-एक (3)/63, दिनांक 30.11.1963 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभारित कर्मचारी या आकस्मिकता निधि से वेतन पाले वाला कर्मचारी हो यह छूट स्वीकार्य नहीं होगी यदि उम्मीदवार परीक्षा के या तो पहले या बाद में त्याग पत्र दे दे तथा तथापि वे पत्र बने रहेंगे यदि वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी किए गए हो।

¼ kyg½ अधिकतम 3 वर्ष तक: यदि उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में पूर्ण की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की अवधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।

Li "Vhdj .k%& पद "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी ईकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की निरन्तर अवधि तक रहा हो और रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

¼ =g½ vf/kdre 10 o"kl rd % ; fn mEehn0kkj fodykx gks vkj ml us rrrh; Js kh l ok@in ka ds fy, vkonu fd; k gks rFkk muds }jkk de ls de 40 ifr'kr fu%kDrk dk l {ke vf/kdkjh dk iek.k i = iLrqr fd; k gkA

¼ vBkjg½ l keW; iz kkl u foHkx ds ifji = Ø , Q 1&2@2002@1@3 jk; ij fnukad 2 twj 2004 ds vuq kj NÜkhl x<+jkt; ds f'k{kk dfe; ka dh 'kkl dh; l okvka ds fy; sfu/kkjr vk; q l hek eamruso"kl dh NW nh tk; sftoruso"kl ml us f'k{kk dehl ds : i eal ok dh gS bl ds fy; s6 ekg l svf/kd l ok dks, d o"kl dh l ok eW; dh tk l dsxh rFkk ; g NW vf/kdre 45 o"kl vk; q dh l hek rd jgsxA

Vhi %& mi jkDr of. kr i ko/kkuka ds vfrfjDr jkT; l ok eaHkrhl gsrq l keW; iz kkl u foHkx }jkk vk; q l hek vkfn ds l cark eal e; & l e; ij tkjh funrk ykxugkxA

6. fu; e 5 ¼x½ में दी गई स्थिति को छोड़ विहित आयु सीमाओं में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी। उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिए गए जन्म संबंधी उद्घरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि दर्ज हो जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की किसी मांग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

7. ¼d½ कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो या जिसकी एक पत्नी जीवित हो और वह किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है, जिसमें ऐसा विवाह, ऐसी पत्नी के जीवनकाल के दौरान करने के कारण अमान्य हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए, जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणामस्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी पुरुष उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

¼[k½ कोई महिला उम्मीदवार जिसका विवाह इस कारण से अमान्य हो कि ऐसे विवाह के समय उसके पति की एक पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से

विवाह किया हो जिसकी ऐसे विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी महिला उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8. उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सेवा विशेष के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो। कोई उम्मीदवार, जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जाएगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएगी, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

9. आयोग उम्मीदवारों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी पात्रता के बारे में सलाह नहीं दे सकता। उम्मीदवारों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या विहित आवश्यकता (शर्तों) पूरी करते हैं और क्या आवेदन करना उनके लिए सार्थक होगा तथापि उम्मीदवारों का ध्यान नीचे दी गई कतिपय सेवाओं के लिए दिए गए शारीरिक मानकों की ओर आकर्षित किया जाता है। आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवारों को इस बात से स्वयं समाधान कर लेना चाहिए कि वे ऐसी सेवा के लिए विहित न्यूनतम आवश्यकताओं (शर्तों) को पूरा करते हैं।

#### Åpkb½ vkj l hus ds ?kj's dk ll; ure ekud

l - Ø	in dk uke	Åpkb½	l huk		of)
		i #k	fcuk Qy/k,	Qykus ds ckn	
1	उप अधीक्षक पुलिस	168 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
2	जिला आबकारी अधिकारी	5'-4"	31"	33"	—
3	परिवहन उप निरीक्षक	165 से.मी.	81.50 से.मी.	—	—
4	आबकारी उप निरीक्षक	165 से.मी.	81 से.मी.	85 से.मी.	—
5	सहायक जेलर	1.65 मीटर	0.80 मीटर	—	—

10. परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जाँच के बाद जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश अनन्तिम होगा, यदि बाद की तारीख के सत्यापन के समय यह पता चलता है कि, उम्मीदवार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसका दावा गलत पाया जाता है तो आयोग द्वारा नीचे दिए गए नियम 14 के निबंधनों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि, उसकी उम्मीदवारी को आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और शुद्ध रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

यह बात ध्यान में रखी जाए कि मूल दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवार की पात्रता की शर्तों का सत्यापन उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए जाने के बाद किया जाएगा और तब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की अंतिम रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती तब तक यह अंतिम ही रहेगी।

12. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

13. ¼ d½ आयु में किसी छूट या किसी अन्य रियायत के लिए दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में किसी छूट/रियायत के हकदार होने के बारे में उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।

¼nk½ ऐसे उम्मीदवार को जो छत्तीसगढ़ के छटनी किए गए शासकीय सेवक के रूप में आयु छूट के लिए दावा करता है उस विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जहाँ से उसे छटनी किया गया था उसमें उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद का नाम और प्रत्येक पद पर उनकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख का उल्लेख होगा और यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि स्थापना में कटौती के कारण उसे सेवामुक्त किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

¼rhul½भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने विगत मंत्रालय/कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारंभ होने तथा सेवामुक्त होने की तारीखों का उल्लेख होगा और यह कि उसे मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना सामान्य कमी के कारण, जो भी स्थिति हो, छटनी किया गया था या अधिक घोषित किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

14. ऐसे उम्मीदवार को, जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-  
¼, d½जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो,

¼nk½ उद्धारूप प्रतिरूपण धारण किया हो, या

¼rhul½किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया/किया हो,

¼pkj½झूठे दस्तावेज या ऐसे दस्तोवज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, या

¼i kpl½से बयान दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी स्तर पर सारभूत जानकारी छिपाई हो, या

¼N½ परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,

¼l kr½परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

¼vkl½परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या

¼uk½ उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

¼nl ½ परीक्षा कक्ष में साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। आपराधिक अभियोजन के लिए उसे दोषी ठहराने के अलावा:-

¼d½ आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अयोग्य ठहराया जा सकेगा और/या

¼k½ उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जावेगा,

¼, d½आयोग द्वारा परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले चयन से

¼nk½ राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

¼x½ यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि, इस नियम

के अधीन कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि:-

¼, d½उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

¼nk½ उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

15. \* नियत अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि, वह आवेदन फार्म में दिए गए अधिमान को दृष्टि में रखकर उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र आबंटित करे। केन्द्र बदलने या आवेदन फार्म की कोई प्रविष्टि बदलने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17.\* उप नियम 17 को विलोपित किया गया है।

18. आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अंक सूची प्रदान नहीं करेगा क्योंकि, यह केवल एक अनुवीक्षण-परीक्षा (स्क्रीनिंग-परीक्षा) होती है। अतः इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा, तथापि, मुख्य परीक्षा की अंक सूचियाँ उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भेजी जायेंगी।

19. आयोग, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के यात्रा या अन्य व्ययों की पूर्ति नहीं कराता है, छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो छत्तीसगढ़ में अधिवासित हो तथा पहले से सेवा में न हो, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2030-छ-आर दो, दिनांक 22.06.1963 के अनुसार यात्रा व्यय केवल बस या रेल वास्वविक किराया का भुगतान किया जायेगा। देयक फार्म संबंधित परीक्षा या मौखिक परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। इस सत्यापन के बाद कि उम्मीदवार ने वास्तव में परीक्षा दी है, भुगतान किया जायेगा।

20. किसी विशेष सेवा के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा विहित की जाये, उन्हें छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर सेवा करनी होगी और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिये। पुलिस उप-अधीक्षक के रूप नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में या अन्य समान हैसियत में जैसा राज्य शासन चाहे कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा।

21. निरसन तथा अपवाद:- इन नियमों से तत्संबंधी सभी नियम जो इनके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व लागू हों, एतद् द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निरसित किए जाते हैं:-

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

tfo; j frXk, उप सचिव

\* NRrhI x<+ 'kkl u| l kekl; i r kkl u folkkx ds vf/kl ipuk Øekad ,O 6&3@2008@1@, d] fnukad 23@12@2011 ds }kjk l dkkf/krA

**STATE SERVICES EXAMINATION RULES**

As per Order Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/one/1, Dated 27.08.2008 and amended Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 23/12/2011- Combined Competitive Examination called State Services Examination for recruitment to the following services/posts may be held annually, if required by the Chhattisgarh Public Service Commission:

**Class of Service/Post**

1. State Civil Service (Deputy Collector)	II
2. State Police Service (Dy. Superintendent of Police)	II
3. State Accounts Service	II
4. Commercial Tax Officer	II
5. District Excise Officer	II
6. Assistant Registrar Cooperative Societies	II
7. District Organiser, Tribal Welfare	II
8. Labour Officer	II
9. District Registrar	II
10. Employment Officer	II
11. Area Organiser	II
12. Block Development Officer	II
13. Assistant Director Food/Food Officer	II
14. Project Officer, Social /Rural Intensive Literacy Project	II
15. Subordinate Civil Service (Naib Tahsildar)	III
16. Assistant Superintendent Land Records	III
17. Commercial Tax Inspector	III
18. Excise Sub-Inspector	III
19. Transport Sub-Inspector	III
20. Co-operative Inspector	III
21. Assistant Labour Officer	III
22. Assistant Jailor	III
23. Sub-Registrar	III
24. Assistant Director Public Relation	II
25. Principal, Panchayat Secretary of the Training Institute	II
26. District Women Child Development Officer	II
27. Chief Instructor (Anganwadi/Gram Sevikas Training Centre)	II
28. Assistant Director (Women and Child Development)	II
29. Superintendent (Institutions)	II
30. Project Officer (Integrated Child Development Project)	II
31. Assistant Project Officer (Special Nutrition Programme)	II
32. Area Organizer (M.D.M.)	II
33. District Commandant Home Guard	II
34. Assistant Director Local Fund Audit	II
35. Additional Assistant Development Commissioner	II
36. Chhattisgarh Subordinate Account Service Officer	III

2. The combined competitive examination comprises following successive stages:

∪ The State Services Preliminary Examination for selection of candidates for Main Examination.

∪ State Services Main Examination (written Examination and Interview) for final selection of candidates for the various categories of services and post.

The Scheme of examination and syllabi of different subjects would be as given under Appendix I, II and III respectively.

(i) All candidates, irrespective of their preference for a particular service/post, will have to appear in the same number of papers as mentioned in the scheme of examination (Appendix 1). Only in the case of Candidates applying for the post of District Organiser, Tribal Welfare and Area Organiser, Tribal Welfare it will be imperative that in the Main Examination they offer 'Sociology' as one of their optional papers.

3. (i) The candidates obtaining minimum marks in the preliminary examinations as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be arranged in the order of marks obtained by them, Out of these candidates only about as many as equal to fifteen times at the most the total number of posts under various categories, will be deemed to qualify for the Main Examination and the results of the preliminary examination shall be announced accordingly. The list of candidates belonging to **Unreserved Category**, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBC qualifying for main examination shall be separately prepared and their results announced accordingly. Preliminary Examination will only serve as a screening test for selecting candidates for the Main Examination and marks obtained in this examination will not be considered at the time of final selection of candidates.

(ii) The candidates who appear in the Main Examination and obtain such minimum marks as may be fixed by the Commission in their discretion, will be arranged in the order of total marks obtained by them in the Main Examination. Out of these candidates only about as many as equal three times the total number of posts under various services will be deemed to qualify for being called for interview. Similarly a separate list of candidates belonging to **Unreserved Category**, scheduled castes, scheduled tribes and OBC who qualify for being called for interview shall be prepared.

(iii) (a) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate of marks awarded to them in the Main Examination and the interview.

**While recommending a candidate for a particular service, due consideration will be given to the preference, if any expressed by him/her in the application, subject to the following conditions :-**

(1) If a candidate has not expressed any preference in the application, he will be considered for all posts in the order in which these have been enumerated in the advertisement.

(2) In case a candidate does not succeed in getting any of the posts of his preference, he will be considered on the basis of his aggregate of marks for other post (s) in the order in which these have been enumerated in the advertisement. However, he shall not be considered for any post (s) for which he has expressly indicated that he would not like to be considered for it.

(3) The above principles will also apply while preparing supplementary list.

(b) \* Merit list for each post in the case of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and OBC will be similarly prepared separately, to the extent of reserved vacancies. In case a candidate belonging to scheduled castes or scheduled tribes or OBC by virtue of his aggregate

of marks, finds place in the **unreserved** list, he shall be shown in the **unreserved** list and will not be counted against a reserved vacancy.

(iv) The Commission shall also prepare a supplementary list for each post to the extent of 25% of the total number of candidates figuring in the main list.

4. After receipt of the **recommendation** of the Commission, the Government shall make such enquiries about the candidate as it may deem fit in order to ensure that they are suitable in all respects for appointment to the posts concerned. The Government reserve the right to offer appointment to the candidates.

5. **Eligibility conditions - (a) Nationality-** The candidate must be a citizen of India.

(b) **Minimum educational qualification** - A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act. 1956 or possess an equivalent qualification.

**Note -I-** Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the results as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. It will be compulsory for all candidates who are declared qualified by the Commission for taking the State Services (Main) Examination to produce proof of passing the requisite examination with their application for the Main -Examination.

**Note -II-** Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognized by the State Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

(c) **Age - (a) \*** A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January of the next year after issuance of the advertisement but in the case of candidates domicile/permanent resident of CG, this maximum age limit extended to 35 years.

Provided that the State Government may vary the lower and upper age limits for any of the services included in these Rules looking to the exigencies of the services.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :-

(i) up to a maximum of five years : if a candidate domiciled in Chhattisgarh belongs to a caste or tribe notified a scheduled caste or scheduled tribe or OBC by the Government of Chhattisgarh :-

(ii) up to a maximum of 3 years : If a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from :-

(1) Burma, who migrated to India on or after 1st June, 1963; or

(2) Srilanka, who migrated to India afer 1st November, 1964; or

(3) if the Candidate is a bonafide displaced person from East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of 8 years : (If the candidate repatriate or displaced person mentioned in (ii) supra belongs to scheduled caste, scheduled tribe or OBC as notified by Government of Chhattisgarh and domiciled in Chhattisgarh

(iv) up to a maximum of 5 years : if the candidate is a widow on her first appointment ;

(v) up to a maximum of 2 years : if the candidate holds a Green Card in his/her name under the Family Welfare Programme;

(vi) up to a maximum of 5 years: if the candidate is a forward partner of a prize winning couple under Intercaste Marriage Scheme sponsored by the Tribal, Harijan and Backward Class Welfare Department as per GAD Memo No. C-1085-3-1, dated 3-9-1985;

(vii) **Up to a maximum of 5 years: if the candidate is sports person honoured with the Shaheed Rajeev pandey Award or Gundadhar Samman or Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Samman or Rashtriya Yuva awarded as per GAD memo No- F19-2/2005/1-3 Raipur dated 01-12-2006.**

(viii) up to a maximum of 3 years : in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof ;

(ix) up to a maximum of 8 years " if the candidate filling under category (viii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC ;

(x) up to a maximum of 3 years : in the case of a candidate who is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xi) up to a maximum of 8 years : if the candidate falling under category (x) supra belongs to a scheduled caste or scheduled tribe or OBC :

(xii) up to a maximum of 5 years : in the case of Ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered atleast five year Military Service as on 1st January Preceding date of Commencement of Examination and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months form the said date) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xiii) up to a maximum of 10 years : in case the candidate falling under category (xii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC;

(xiv) up to maximum 10 years : for women candidate: As per Rajpatra (Asadharan) date 7.2.1997, Published rule C.G. civil service (Special provision of appointment for women) Rule 1997, 10 years age relaxation will be given to women candidate.

(xv) \* In case of the permanent/ Temporary employees of either of CG State Govt. or any undertaking of CG Govt. will be entitled the age relaxation up to 38 years.

**N.B. -** The term temporary Government servant includes a person borne on work-charged and contingency paid staff of the Chhattisgarh Government as per GAD memorandum No. 2998-Cr-444-1 (iii) -63, dated the 30th November 1963 . This concession will not be admissible if the candidates resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from service or post after submitting their application.

(xvi) up to a maximum of 3 years : if the candidate is a retrenched Government servant, after deducting from his age the period of all temporary

service previously rendered by him up to maximum of seven years even if it represents more than one spell;

**Explanation** - The term retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government service of the State of Chhattisgarh or any of its constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

**(xvii) up to a maximum of 10 years: if the candidate is a handicapped and applying to the service/posts class III and must have submitted his disability certificate of not less than 40% issued by the competent authority.**

(xviii) In accordance to general administration department's circular no. F 1-2/2002/1/3 dated 02/06/2004. Shiksha karmies of chhattisgarh state will be granted relaxation in maximum age limit for equal number of years for which they have worked as shiksha karmi. For calculation purpose the period of more than 6 months will be treated as one year. The benefit of this relaxation can be availed only up to 45 years.

**Note:-** In addition to the above mentioned provisions, the instructions issued from time to time by General Administration Department regarding age limit etc. shall be applicable at the time to recruitment to the State Civil Service.

6. Save as provided in Rule 5 (c), the age limits prescribed can in no case be relaxed. The candidates should note that the Commission shall accept only such date of birth as is recorded in the matriculation or secondary school examination certificate or certificate of a examination treated equivalent thereto. No other document relating to age like horoscope, affidavit, birth extracts from Municipal Corporation service records and the like will be accepted. Once a date of birth has been recorded in the application form, request for any change therein will not be considered under any circumstance.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such wife shall be eligible for appointment to any of the services appointment to which is made on the result of this examination unless the State Government after being satisfied that there are grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of the Rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the services on the result of this examination, unless the State Government after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any female candidate from the operation of this Rule.

8. A candidate must be in a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the particular service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates who are likely to be considered for appointment will be medically examined.

9. The Commission cannot advise candidates as to their eligibility for any particular service. It is for the candidates themselves to see whether they satisfy the prescribed requirement and whether it is worth their while to apply. However, the attention of the candidates are drawn to the physical standards laid down for certain services as given below. Before applying, the candidates should satisfy themselves that they fulfil the minimum requirements prescribed for such services.

#### MINIMUM STANDARD FOR HEIGHT AND CHEST GIRTH

S. No.	Name of Post	Height	Chest		Expansion
		Man	With out Exp.	With Exp.	
1	Dy. Superintendent of Police	168 c.m.	84 c.m.	89 c.m.	5 c.m.
2	District Excise Officer	5'4"	31"	33"	-
3	Transport Sub-Inspector	165 c.m.	81.50 c.m.	-	-
4	Excise Sub-Inspector	165 c.m.	81 c.m.	85 c.m.	-
5	Assistant Jailor	1.65 m.	0.80 m.	-	-

10. The success in the examination confers no right to appointment unless the Government are satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. No representation or correspondence shall be entertained on this point. The admission to the preliminary examination shall be provisional. If on verification at any later date it is found that a candidate does not fulfil all the eligibility conditions his candidature shall be cancelled. If any of his claims is found to be incorrect, he may render himself liable for disciplinary action by the Commission in terms of Rule 14 given below.

The mere fact that a certificate of admission to the examination has been issued to a candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his application for the preliminary examination have been accepted by the Commission as true and correct.

It may be noted that verification of eligibility condition of a candidate with reference to original documents would be taken up after the candidate has qualified for the Main Examination and unless the candidature is finally confirmed by the Commission, it would continue to be provisional.

12. No candidate shall be admitted either to preliminary examination or main examination unless he/she holds a certificate of admission issued by the Commission.

13. (i) The candidates claiming any relaxation in age or any other concession must attach with their application forms appropriate certificate in original issued by the competent authority. In absence of such certificates they will not be entitled to be considered for any relaxation concession.

(ii) A candidate claiming age concession as retrenched Government servant of Chhattisgarh should produce in original a certificate from the Head of the Department or Office from where the candidate was retrenched stating the designation of each post held by him, the date of appointment and leaving in respect of each post and also certifying that he was discharged

because of reduction in establishment. He should also produce an attested copy of the certificate of his registration at the Employment Exchange if any.

(iii) A candidate claiming age concession as an ex-serviceman should produce in original a certificate from his last Ministry/Office indicating the dates of commencement and discharge in respect of his defence service, and that he was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economic Unit or due to normal reduction in establishment as the case may be. He should also produce an attested copy of his registration at the Employment Exchange, if any.

**14.** A candidate who is or has been found by the Commission to be guilty of:-

(i) obtaining support for his candidature whether in the written examinations or interviews by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information at any stage of selection. ; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination; or

(vii) using or attempting to use unfair means in the examination hall; or

(viii) harassing, threatening or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of examination; or

(ix) violating any of the instructions issued to the candidates along with their admission certificate or other instructions including oral instruction given by the centre supervisor or other staff engaged for conduct of examination; or.

(x) misbehaving in any other manner in the examination hall or in the interview, any in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable.

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and / or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period.

(i) by the Commission from any examination or selection held by them.

(ii) by the State Government from employment under; and

(c) if he is already in service under Government, to a disciplinary action under appropriate rules :

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after -

(i) giving the candidate an opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

**15. \*** The online applications received after due date and time will not be entertained.

**16.** The Commission reserve the right to allocate centre for examination to the candidate keeping in view the preference recorded in the application form. No application for change of centre or any other entries in the application form shall be entertained.

**17. \*** Eliminate the sub rule 17.

**18.** The Commission shall not supply mark sheets in respect of preliminary examination as it is only a screening test. As such no correspondence will be entertained in this connection. However, the mark sheets of the Main Examination will be sent to the candidates after publication of final results.

**19.** The Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates called for written test of viva-voce. Candidates belonging to a caste or tribe or OBC notified for Chhattisgarh as a scheduled caste or scheduled tribe or OBC and domiciled in Chhattisgarh, who are not already in service will, however, be paid travelling allowance as per Finance Department memo No. 2030-VI -R-II, dated the 22nd June 1963. The bill forms will be available at the respective centres of examination and viva-voce. Payment will be made after verification that the candidate had actually taken the test.

**20.** The candidates finally selected for a particular service will have to undergo such training and pass such departmental examination as may be prescribed by the Government. they will be required to serve at any place in Chhattisgarh and should be able to take immediately an appointment when offered. Candidates selected by the Commission for appointment as Deputy Superintendent of Police will have to execute a bond to serve the State for a period not less than three years as Deputy Superintendent of Police or in other similar capacity as the State Government may desire.

**21. Repeal and Saving -** All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
**XAVIER TIGGA**, Deputy Secretary

**\*** Amendment, As per Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide Notification No. F 6-3/2008/1/One, Dated 23/12/2011.

## परिशिष्ट-एक

परीक्षा योजना  
राज्य सेवा परीक्षा

## 1- ijkfkkd ijh{kk &amp; %Lrfu"B idkj½

प्रारंभिक परीक्षा में 2:00 घंटे की अवधि के 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे। दोनो प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type) के बहुविकल्पीय होंगे (Multiple Choice) के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 5 विकल्प (Five Choice) होंगे, जिनमें से सही उत्तर की पहचान करनी होगी। गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक भी दिये जायेंगे।

- i fke izu&i =&सामान्य अध्ययन (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिया जाएगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 01 अंक काटा जाएगा। प्राप्तांक = 2R-W (जहां R सही उत्तर की संख्या एवं W गलत उत्तरों की संख्या है)।
- f}rh; izu&i =&योग्यता परीक्षा (प्रश्न 100, अंक 200, समय 2:00 घंटे)। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 01 अंक काटा जाएगा। प्राप्तांक = 2R-W (जहां R सही उत्तर की संख्या एवं W गलत उत्तरों की संख्या है)।

U; ure vgrk vad & प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अनाश्रित वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित वर्ग के एवं विकलांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्राविण्यता के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।

## 2- e[; ijh{kk ,oa l k{kkRdkj &amp;

ijh{kk ; kstuk  
fyf[kr ijh{kk & %i jEijkxr idkj½

l-Ø-	izu i= dk uke	izu i= dh vof/k	dy vad	fjekdl
1	2	3	4	5
1.	izu&i = & 01 भाषा	03 घंटा	200	
2.	izu&i = & 02 निबंध	03 घंटा	200	अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से एक कुल दो विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने होंगे।
3.	izu&i = & 03 इतिहास, संविधान एवं लोकप्रशासन	03 घंटा	200	
4.	izu&i = & 04 विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	03 घंटा	200	
5.	izu&i = & 05 अर्थव्यवस्था एवं भूगोल	03 घंटा	200	
6.	izu&i = & 06 गणित एवं तार्किक योग्यता	03 घंटा	200	
7.	izu&i = & 07 दर्शन एवं समाज शास्त्र	03 घंटा	200	
		dy vad	1400	
8.	l k{kkRdkj @0; fDrRo ijh{k.k		150	
		dy vad	1550	

- e[; ijh{kk ds izu&i = ijEijkxr idkj %Conventional Type% ds y?kq@e/; e@nh?kz mRrjh; gksxA
- ijkfkkd ijh{kk ds vk/kkj ij e[; ijh{kk ds fy, fpUgkfdR vH; fFkz ka dks e[; ijh{kk ds l Hkh l kr izu&i = ka es l fEefyr gkuk gksxA e[; ijh{kk ds vk/kkj ij l k{kkRdkj grrqfpUgkfdR vH; fFkz ka dks l k{kkRdkj eavfuok; r% l fEefyr gkuk gksxA e[; ijh{kk ds fd l h Hkh izu&i = ea ,oa l k{kkRdkj ea vuq fLFkr jgus okys vH; Fkhz vugz gksxA
- i fke izu&i =&Hkk"kk dks NkMelj अन्य सभी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अभ्यर्थी द्वारा इच्छानुसार केवल हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दिया जाएगा। परंतु किसी प्रश्न-पत्र में उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अंशतः नहीं दिया जाएगा।
- izu i =&02 ea nks Hkx gks 1. राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, 2. छत्तीसगढ़ राज्य की समस्याएं। अभ्यर्थी को प्रत्येक भाग से तीन विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक-एक विकल्प पर समस्या-समाधान (कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित एवं समाधान) पर निबंध लिखना होगा।
- e[; ijh{kk grrq izu i = Øekd 03 l s 07 ea fuEukud kj izu gks %&

[k.M Øekd 01& इस खण्ड के अंतर्गत कुल 20 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 02 अंक, इस तरह इस प्रश्न के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (शब्द सीमा लगभग - 30)

[k.M Øekd 02& इस खण्ड के अंतर्गत कुल 10 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 अंक, इस तरह इस प्रश्न के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (शब्द सीमा लगभग - 60)

[k.M Øekd 03& इस खण्ड के अंतर्गत कुल 05 प्रश्न दिए जायेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 8 अंक, इस तरह इस प्रश्न के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (शब्द सीमा लगभग - 100)

[k.M Øekd 04& इस खण्ड के अंतर्गत कुल 03 प्रश्न दिए जायेंगे, जिनमें से कोई 02 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न हेतु 20 अंक, इस तरह इस प्रश्न के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (शब्द सीमा लगभग - 250)

[k.M Øekd 05& इस खण्ड के अंतर्गत कुल 02 प्रश्न दिए जायेंगे, जिनमें से कोई 01 प्रश्न का उत्तर देना होगा। इस तरह इस प्रश्न के लिए अधिकतम 40 अंक होंगे। (शब्द सीमा लगभग - 500)

## Annexure-I

### Examination Scheme

### State Service Examination

#### 1. Preliminary Examination - (Objective Type)

In the Preliminary Examinations there will be 2 compulsory papers of 02 hours duration each. Both the question papers will have objective type multiple choice questions. There will be five choices of answers for each question out of which one is to be selected. There will be negative marking for wrong answer.

• **First Question Paper-** General Studies (Question 100, Marks 200, Duration 2.00 Hours). 02 marks will be awarded for each right answer and 01 mark will be deducted for each wrong answer. Marks obtained =  $2R - W$  (where R stands for number of right answers and W stands for number of wrong answers.)

• **Second Question Paper-** Aptitude Test (Question 100, Marks 200, Duration 2.00 Hours) 02 marks will be awarded for each right answer and 01 mark will be deducted for each wrong answer. Marks obtained =  $2R - W$  (where R stands for number of right answers and W stands for number of wrong answers.)

**Minimum Qualifying Marks-** In each Question paper essential qualifying marks for unreserved category will be 33%, and 23% for reserved categories and handicapped candidates. Candidates will be short listed for main examination on the basis of merit.

#### 2. Mains Examination and Interview -

##### EXAMINATION SCHEME

##### Written Examination (Conventional Type)

SN	Name of Question Paper	Duration	Total Marks	Remark
1	2	3	4	5
1.	<b>Paper-I</b> Language	3 Hours	200	
2.	<b>Paper-II</b> Essay	3 Hours	200	Candidates should write two Essays one from each section compulsorily.
3.	<b>Paper-III</b> History, Constitution and Public Administration	3 Hours	200	
4.	<b>Paper-IV</b> Science, Technology and Environment	3 Hours	200	
5.	<b>Paper-V</b> Economics & Geography	3 Hours	200	
6.	<b>Paper-VI</b> Mathematics & Logical Ability	3 Hours	200	
7.	<b>Paper-VII</b> Philosophy & Sociology	3 Hours	200	
<b>Total Marks</b>			<b>1400</b>	
8.	<b>Interview / Personality Test</b>		<b>150</b>	
<b>Grand Total Marks</b>			<b>1550</b>	

• Question papers for Main Examination will be of Conventional nature i.e.: Short/Medium/Long answers Type.

• Candidates short listed for the Main Examination on the basis of Preliminary Examination (Screening Test) must appear for all the seven papers in Main Examination. Candidates selected for the Interview on the basis of Main Examination must appear in the Interview. Absence in any paper of Main Examination and Interview will be liable for disqualification.

• All the question papers except first -"Language" may be answered in Hindi or English chosen by the candidates. However a candidate will not be permitted to write part of the paper in Hindi and part of it in English.

• **Paper II - Essay -**

There will be two sections in this paper. 1. National level Problems  
2. Chhattisgarh State Problems. The Candidates will be given three options in each section and will have to write on one option from each section, the problem - solution (reason, present status including data and solution)

• **Paper III to VII will contain the questions as given below -**

**Section 01-** In this section there will be 20 compulsory questions of 02 marks each. Thus the maximum marks in this section will be 40. (word limit - about 30)

**Section 02-** In this section there will be 10 compulsory questions of 04 marks each. Thus the maximum marks in this section will be 40. (word limit - about 60)

**Section 03-** In this section there will be 05 compulsory questions of 08 marks each. Thus the maximum marks in this section will be 40. (word limit - about 100)

**Section 04-** In this section total 03 questions will be given out of which 02 questions will have to be solved. Each question will carry 20 marks. Thus the maximum marks in this section will be 40. (word limit - about 250)

**Section 05-** In this section total 02 questions will be given out of which 01 question will have to be solved. This question will carry 40 marks. Thus the maximum marks in this section will be 40. (word limit - about 500)



## परिशिष्ट-दो

## ANNEXURE-II

## :: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा ::

ikjfhkd ijh{kk dk ikB; Øe izui =okj fuEukuq kj gksk&  
(प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी में होंगे, किसी भी शब्द/वाक्य में भाषा विवाद की स्थिति में हिन्दी भाषा में लिखे शब्द/वाक्य को आधार माना जायेगा)

izui = 1 | keku; v/; ; u

¼ iz u 100] vcl 200% vof/k% 2%00 ?k&k

- भाग 1 तथा भाग 2 से 50-50 प्रश्न दिये जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 01 अंक काटा जाएगा प्राप्तांक = 2R-W (जहां R सही उत्तर की संख्या एवं W गलत उत्तरों की संख्या है)।

Hkkx 1 & | keku; v/; ; u %&

1. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
2. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
3. भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था।
4. भारत की अर्थव्यवस्था।
5. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
6. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति।
7. समसामयिक घटनाएं एवं खेल।
8. पर्यावरण।

Hkkx 2 & NRrhl x<+dk | keku; Kku %&

1. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
2. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
3. छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनऊला, मुहावरे, हाना एवं लोकोत्तियां।
4. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्यौहार।
5. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि।
6. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
7. छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन।
8. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं।

izui = 2

; kx; rk ijh{kk ¼ iz u 100] vcl 200% vof/k% 2%00 ?k&k

- प्रत्येक प्रश्न 02 अंकों का होगा, प्रत्येक सही उत्तर हेतु 02 अंक दिए जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 01 अंक काटा जाएगा, प्राप्तांक = 2R-W (जहां R सही उत्तर की संख्या एवं W गलत उत्तरों की संख्या है)।

1. संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल।
2. तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता।
3. निर्णय – निर्माण और समस्या निवारण।
4. सामान्य मानसिक योग्यता।
5. मूल संख्यात्मक कार्य (सामान्य गणितीय कौशल) (स्तर-कक्षा दसवीं), आंकड़ों की व्याख्या (चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि) (स्तर-कक्षा दसवीं)।
6. हिन्दी भाषा ज्ञान (स्तर-कक्षा दसवीं)।
7. छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान।  
हिन्दी भाषा ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित प्रश्न उसी भाषा में होंगे, इनका अनुवाद उपलब्ध नहीं होगा।

## "State Service Preliminary Examination"

The question paper will be in Hindi and English both. In case of any doubt the Hindi version will prevail.

The paper wise syllabi of the Preliminary Examination is as following-

## Question Paper 1 General Studies

(Questions 100, Marks 200), Time : 2 hours

- (There shall be 50 Questions from Part-'1' & Part-'2' each. Each question will carry 2 marks) 02 marks will be awarded for each right answer and 01 mark will be deducted for each wrong answer. Marks obtained = 2R - W (where R stands for number of right answers and W stands for number of wrong answers.)

## PART- '1'- General Studies: -

1. History of India and Indian National Movement.
2. Physical, Social & Economic Geography of India.
3. Constitution of India & Polity.
4. Indian Economy.
5. General Science & Techonlogy.
6. Indian Philosphy, Art, Litereture & Culture.
7. Current Affairs & Sports.
8. Environment.

## PART-'2'-

## GENERAL KNOWLEDGE OF CHHATTISGARH

1. History of Chhattisgarh, & Contribution of Chhattisgarh in Freedom Movement.
2. Geography, Climate, Physical status, Census, Archeological and Tourist Centres of Chhattisgarh.
3. Literture, Music, Dance, Art and Culture, Idioms and Proverbs, Puzzle/riddle (जनऊला), Singing (हाना) of Chhattisgarh.
4. Tribes, Special Traditions, Teej and Festivals of Chhattisgarh.
5. Economy, Forest and Agriculture of Chhattisgarh.
6. Administrative Structure, Local Government and Panchayatiraj of Chhattisgarh.
7. Industry in Chhattisgarh, Energy, Water and Mineral Resource of Chhattisgarh.
8. Current Affairs of Chhattisgarh.

## Question Paper 2

Aptitude Test (Questions 100, Marks 200), Time :2 hours.

02 marks will be awarded for each right answer and 01 mark will be deducted for each wrong answer. Marks obtained = 2R - W (where R stands for number of right answers and W stands for number of wrong answers.)

1. Interpersonal skills including communication skills;
2. Logical reasoning and analytical ability
3. Decision making and problem solving
4. General mental ability
5. Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude etc.) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. -Class X level)
6. Knowledge of Hindi Language (Class X level).
7. Knowledge of Chhattisgarhi Language.

Knowledge of Hindi Language and Chhattisgarhi Language will be tested in Hindi and Chhattisgarhi Language only, without providing translation.

## परिशिष्ट-तीन

&#x26; i kB; Oe %&  
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा

i / u & i = 01 & Hkk"kk  
%v d l % 200] vof/k% 3%00 ?k/k%

Hkkx&1 I kekl; fglnh

भाषा-बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समोच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि-विच्छेद, सामासिक पदरचना एवं समास-विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरें एवं लोकोक्ति (अर्थ एवं प्रयोग), पत्र लेखन। हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं।

Hkkx&2 I kekl; I d r &

संधि: - संधि विच्छेद, संधि नाम, संधि, शब्द रूप: - स्वरान्त, व्यञ्जनान्त, सर्वनाम, संख्यावाची, वाच्य-परिवर्तन-कारक विभक्तियों- अनुवाद- हिन्दी से संस्कृत, संस्कृत से हिन्दी, अव्यय, समास के सभी प्रकार, विग्रह एवं सामासिक शब्द, रचना: - निबन्ध, अपठित गद्यांश, पत्र-लेखन, सुभाशितानि।

Hkkx&3 General English

Comprehension, Precis Writing, Re arrangement and Correction of Sentences, Synonyms, Antonyms, Filling the Blanks, Correction of Spellings, Vocabulary and usage, Idioms and Phrases, Tenses, Prepositions, Active Voice and Passive voice, Parts of Speech, Translation- English to Hindi, Letter writing.

Hkkx&4 NRrhl x < Hkk"kk &

छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, हिन्दी से छत्तीसगढ़ी एवं छत्तीसगढ़ी से हिन्दी प्रशासनिक शब्दकोश।

i / u & i = 02 & fucdk  
%v d l % 200] vof/k% 3%00 ?k/k%

अभ्यर्थी को कुल दो समस्याओं पर निबंध (कारण, वर्तमान स्थिति आंकड़ों सहित एवं समाधान) लिखना होगा। प्रत्येक भाग से तीन समस्याएं दिए जायेंगे जिनमें से प्रत्येक भाग से एक-एक समस्या पर लगभग 1500-1500 शब्दों में निबंध लिखना होगा।

प्रत्येक भाग हेतु अधिकतम 100 - 100 अंक होंगे।

भाग-1 : राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं।

भाग-2 : छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित समस्याएं।

प्रश्न-पत्र 03 - bfrgkl | I fo/kku , oa ykd iz kkl u  
%v d l % 200] vof/k% 3%00 ?k/k%

भाग-1 भारत का इतिहास - सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य-राजनय तथा अर्थव्यवस्था, गुप्त साम्राज्य, गुप्त-वकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान का विकास। भक्ति आन्दोलन, सूफ़ीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, विजयनगर राज्य, मराठों का अभ्युदय। यूरोपियनों का आगमन तथा ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारण, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार-युद्ध एवं कूटनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था-कृषि, भू-राजस्व व्यवस्था-स्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन, ईस्ट इंडिया कम्पनी के रियासतों के साथ संबंध, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, 1858 के पश्चात् नगरीय अर्थव्यवस्था-रेलों का विकास, औद्योगीकरण, संवैधानिक विकास।

भाग-2 भारत का स्वतंत्रता आंदोलन - राष्ट्रवाद का उदय, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आन्दोलन, साम्प्रदायिकता का उदय एवं विकास, क्रांतिकारी आन्दोलन, होमरूल आन्दोलन, गांधीवादी आन्दोलन, मजदूर किसान एवं आदिवासी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिन्द फौज, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, रियासतों का विलीनीकरण। सामाजिक धार्मिक सुधार आन्दोलन-ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन।

भाग-3 छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान - छत्तीसगढ़ का इतिहास - वैदिक युग से गुप्त काल तक, प्रमुख राजवंश - राजर्षितुल्य कुल, नल, शरभपुरीय, पांडु, सोमवंशी इत्यादि, कल्युषी एवं उनका प्रशासन, मराठों के अधीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जमीन्दारियां। ब्रिटिश अधीनता में छत्तीसगढ़, सामन्ती राज, 1857 की क्रांति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आन्दोलन, श्रमिक, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण।

Hkkx&4 Hkkjr dk I fo/kku & भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (1773 - 1950 ), संविधान की मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, भाग 3- मूलभूत अधिकार, भाग 4 - राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधानिक उपचारों का अधिकार (याचिकाएं), न्यायिक पुनर्विलोकन एवं न्यायिक सक्रियता, मूल कर्तव्य। संघ - कार्यपालिका, संसद, उच्चतम न्यायालय, महान्यायवादी। राज्य- कार्यपालिका, विधानमण्डल, उच्च न्यायालय, महाधिवक्ता एवं अधीनस्थ न्यायालय। संघ एवं राज्यों के मध्य संबंध - विधायी शक्तियों का वितरण, प्रशासनिक संबंध, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अधिकरण एवं प्रशासनिक अधिकरण। निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए विशेष उपबन्ध, पंचायत एवं नगरपालिकाएं, राजभाषा - संघ की भाषा एवं प्रादेशिक भाषाएं। आपात उपबन्ध, संविधान का संशोधन, आधारभूत ढांचा की अवधारणा, अनुसूचियां, संविधान संशोधन अद्यतन।

Hkkx&5 ykd iz kkl u & लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व। उदासीकरण के अधीन लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन एवं तुलनात्मक लोक प्रशासन, लोक प्रशासन में नए आयाम। राज्य बनाम बाजार। विधि का शासन। संगठन - सिद्धान्त, उपागम, संरचना। प्रबंध - नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण सिद्धान्त। प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण - समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण और अभिप्रेरणा। प्रशासनिक सुधार, सुशासन, नौकरशाही, जिला प्रशासन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त। भारत में प्रशासन पर नियंत्रण-संसदीय, वित्तीय, न्यायिक एवं कार्यपालिका का नियन्त्रण। लोकपाल एवं लोक आयुक्त। सूचना का अधिकार। राज्य की अवधारणा, सम्प्रभुता, प्रजातन्त्र। संसदीय एवं अध्यक्षतात्मक, संघात्मक एवं एकात्मक शासन। शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त।

प्रश्न-पत्र 04 - foKku | i k| kfxchl , oa i ; kbj .k  
%v d l % 200] vof/k% 3%00 ?k/k%

भाग-1 रसायन विज्ञान

रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य- रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्कमणीय एवं अनुत्कमणीय रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक साम्य गतिक प्रकृति, अम्ल एवं क्षार, pH पैमाना (सरल आंकिक प्रश्न) ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक-गुण एवं उपयोग, बनाने की विधि, उत्पादन (जल, कपड़े धोने का सोडा, खाने का सोडा, विरंजकचूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस), भवन निर्माण संबंधी कुछ पदार्थों का निर्माण-चूना, सीमेंट, कांच एवं इस्पात। धातुएं- आवर्त सारिणी

क्रमशः

में धातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, धातु, खनिज अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर। धातुकर्म— अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन एवं शोधन, कॉपर एवं आयरन का धातुकर्म, धातुओं का संक्षारण, मिश्र धातुएं। अधातुएं— आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति एवं सामान्य गुण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रयोगशाला विधि गुण एवं उपयोग। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक— ऐल्कोहल एवं एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, गुण एवं उपयोग, कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक, पॉलीथीन, पाली विनाइल क्लोराइड, टेप्लान, साबुन एवं अपमार्जक।

## भाग-2 भौतिक विज्ञान

**ऊर्जा के स्रोत—** ऊर्जा के नवीन स्रोत एवं पारम्परिक स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण सौर तापन युक्तियां, सोलर कुकर, सोलर सेल, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, जीवाश्म ईंधन, आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन के गुणधर्म, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, संलयन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय ऊर्जा के लाभ व हानियां। **प्रकाश—** प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब रचना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, एक पिन विधि द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, U-V-f में संबंध। **प्रकाश का अपवर्तन—** अपवर्तन के नियम, कांच के गुटके द्वारा अपवर्तन, कांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग, लेंस (अभिसारी एवं अपसारी लेंस) परिभाषा, फोकस दूरी, प्रकाशिक केन्द्र, लेंस द्वारा प्रतिबिम्ब रचना, मानव नेत्र इसके दोष एवं निराकरण तथा फोटो ग्राफिक कैमरे और मानव नेत्र में तुलना, सरल सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शी, बनावट, उपयोग, कार्यविधि, किरण आरेख (सूत्र की स्थापना नहीं)। **विद्युत और इसके प्रभाव—** विद्युत तीव्रता, विभव-विभवांतर, विद्युत धारा, ओहम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना (आंकिक) विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, प्राथमिक, द्वितीयक सेल, इनके गुण-दोष, लेकलांशी सेल, शुष्क सेल, सीसा संचायक सेल बनावट। **विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव—** विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव, ओस्टेड का प्रयोग, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत मोटर, जनित्र की कार्यप्रणाली, सिद्धान्त एवं उपयोग, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा का सामान्य अध्ययन। गैसों में विद्युत विसर्जन, विसर्जन नलिका, कैथोड किरणें, X-किरणें एवं इनके गुणधर्म। **चुम्बकत्व—** चुम्बक एवं इसके प्रकार, कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक बनाने की विधियां, चुम्बकत्व का आणविक सिद्धान्त, चुम्बकीय विनाश, चुम्बकीय रक्षक, चुम्बकीय बल रेखाएं व उनके गुण तथा बल रेखाएं खींचना। भू-चुम्बकत्व-भू-चुम्बकत्व, चुम्बकीय तूफान, चुम्बकीय एवं भागौलिक याम्योत्तर V.H.I. एवं Ø में संबंध।

## भाग-3 जीव विज्ञान

**जन्तुपोषण—**पोषण के प्रकार स्वपोशी, विषमपोषी, मृतोपजीवी, प्राणिसमभोजी तथा परजीवी। प्राणिसमभोजी, पोषण प्रक्रिया के प्रमुख पद। एक कोशिकीय जीव (अमीबा) एवं बहुकोशिकीय जीव (टिड्डा) में पाचन। मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रिया। प्रकाश-संश्लेषण— परिभाषा प्रक्रिया के प्रमुख पद, प्रकाश अभिक्रिया एवं अंधकार अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक एवं प्रकाश-संश्लेषण संबंधी प्रयोग। **श्वसन—** परिभाषा जीव के श्वसन अंग, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास श्वसन के प्रकार, आक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन, मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) श्वसन गुणांक (R.O.) कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का। **परिवहन—** पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन जन्तुओं में परिवहन (मानव के संदर्भ में) रुधिर की संरचना तथा कार्य हृदय की संरचना तथा कार्यविधि रुधिर वाहिनियों की संरचना तथा कार्य (प्रारंभिक ज्ञान) रुधिर का

थक्का बनना, रुधिर समूह रुधिर आधान रुधिर बैक लसीका तंत्र के कार्य। हृदय से संबंधित रोग। **उत्सर्जन—** पौधों में उत्सर्जन एवं उत्सर्जी पदार्थ जन्तुओं में उत्सर्जन एवं उत्सर्जी अंग मानव में उत्सर्जन तंत्र एवं उत्सर्जन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) कृत्रिम वृक्क (डायलिसिस) परासरण नियंत्रण वृक्क से संबंधित रोग। **नियंत्रण एवं समन्वय—** पौधे एवं जन्तुओं में समन्वय पादप हार्मोन, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य, मेरुरज्जू की संरचना एवं कार्य प्रतिवर्ती क्रिया, अन्तः स्त्रावीग्रंथियां हार्मोन एवं कार्य। प्रजनन एवं वृद्धि-प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखण्डन मुकलन एवं पुनरुद्भवन, कृत्रिम वर्षी प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफिटिंग, अनिषेक प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन अंग (पुष्प) की संरचना एवं प्रजनन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) परागण, निषेचन। मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रक्रिया (सामान्य जानकारी) अनुवांशिकी एवं विकास-अनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, अनुवांशिकता का मूल आधार गुण सूत्र एवं DNA (प्रारंभिक जानकारी) जीन, लिंग निर्धारण कार्बनिक विकास का प्रारंभिक ज्ञान (केबल ओपेरिन का सिद्धान्त)।

## भाग-4 प्राद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय नीति एवं नीतियों में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन, प्रौद्योगिकी के उद्देश्य। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी, कृषि व अन्य ग्राम्य विकास कार्य कलापों के विशेष संदर्भ में इसके अनुप्रयोग, इन्सेट एवं आई.आर.एस. तन्त्र। ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कम्प्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, आई.टी. के वृहद अनुप्रयोग। उर्जा संसाधन-उर्जा की मांग, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत उर्जा के स्रोत, नाभिकीय उर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता। भारत में वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का उद्भव, कृषि विज्ञान में प्रगति एवं उसके प्रभाव, भारत में फसल विज्ञान, उर्वरक, कीट नियंत्रण एवं भारत में रोगों का परिदृश्य।

## भाग-5 पर्यावरण

**जैव विविधता एवं उसका संरक्षण—** सामान्य परिचय-परिभाषा, अनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिक तंत्रिय विविधता। भारत का जैव-भौगोलिक वर्गीकरण। जैव विविधता का महत्व-विनाशकारी उपयोग उत्पादक उपयोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से महत्व। विश्व स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता। भारत एक वृहद् विविधता वाले राष्ट्र के रूप में। जैव विविधता के तप्त स्थल। जैव विविधता को क्षति-आवासीय, क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जन्तु संघर्ष। भारत की संकटापन्न (विलुप्त होती) एवं स्थानीय प्रजातियां। जैव-विविधता का संरक्षण-असंस्थितिक एवं संस्थितिक संरक्षण। **पर्यावरण प्रदूषण—** कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय- वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-नगरीय एवं औद्योगिक ठोस कूड़े-करकट का प्रबंधन: कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण। प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका। आपदा प्रबंधन: बाढ़, भूकंप, चक्रवात एवं भू-स्खलन। मानव जनसंख्या एवं पर्यावरण। जनसंख्या वृद्धि, विभिन्न राष्ट्रों में जनसंख्या में भिन्नता। जनसंख्या विस्फोट-परिवार कल्याण कार्यक्रम। पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य।

प्रश्न-पत्र 05 - √FKD; oLFk , oa Hkukky  
—%vcl% 200] vof/k% 3%00 ?k/k%

## भाग-1 भारत की अर्थव्यवस्था -

राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थ व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन (सकल घरेलू उत्पाद एवं कार्यशक्ति)। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में परिवर्तन एवं नवीनतम योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से। आर्थिक सुधार, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याएं, माप एवं उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय। मौद्रिक नीति- भारतीय बैंकिंग एवं

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के स्वरूप एवं उनमें 1990 के दशक से सुधार, रिजर्व बैंक के साख का नियमन। सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा की संरचना और अर्थ-व्यवस्था पर उनके प्रभाव।

#### भाग-2 भारत में योजना -

भारतीय नियोजन- उद्देश्य, प्राथमिकताएं, योजना आयोग और इसके कार्य, नवीनतम पंचवर्षीय योजना के विशिष्ट उद्देश्य, मूल्यांकन एवं समस्याएं, भारत निर्माण योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, संविधान में वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।

#### भाग-3 छत्तीसगढ़ का भूगोल -

छत्तीसगढ़ का भूगोल - भौतिक विशेषताएं, स्थिति एवं विस्तार, भौतिक विभाग और अपवाह तन्त्र, जलवायु, मिट्टी के प्रकार, वनस्पति और उसका महत्व, वनस्पति एवं जीव, मानवीय विशेषताएं, जनांकिकी विशेषताएं, जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं वितरण, शिशु एवं मातृत्व मृत्युदर आदि।

#### भाग-4 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था -

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना, आय एवं रोजगार के क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन, महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण। बाल श्रम समस्या, ग्रामीण विकास। राज्य की वित्त एवं बजटीय नीति, कर संरचना, केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी, राजस्व एवं पूंजी खाता में व्यय संरचना, उसी प्रकार योजना एवं गैर-योजनागत व्यय, सार्वजनिक ऋण की संरचना। आन्तरिक एवं विश्व बैंक के ऋण सहित बाह्य ऋण। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख के संस्थागत एवं गैर-संस्थागत स्रोत। सहकारिता की संरचना एवं वृद्धि तथा कुल साख में उनके हिस्से, पर्याप्तता एवं समस्याएं।

#### भाग-5 छत्तीसगढ़ में कृषि, वन, उद्योग एवं प्राकृतिक संसाधन -

छत्तीसगढ़ में कृषि एवं वन। कृषिगत उत्पाद की संरचना। प्रशासीय कीमते, न्यूनतम समर्थन मूल्य। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मुख्य फसलें, सिंचाई के साधन और उनका महत्व, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएं एवं नियोजन। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास एवं संरचना- बड़े, मध्यम, लघु एवं लघुत्तर क्षेत्र, उनकी तुलनात्मक वृद्धि, कमजोरियां एवं समस्याएं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधन, खनिज, ऊर्जा एवं जल संसाधन, तापीय एवं जल विद्युत परियोजनाएं, सौर ऊर्जा, वन एवं खनिज आधारित उद्योग।

प्रश्न-पत्र 06 -  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  ;  $\frac{1}{2}$  ;  $\frac{1}{2}$

—  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$

परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अनुपात एवं समानुपात- अनुपात व समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, अंतरानुपात, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात आदि व उनके अनुप्रयोग। युगपत समीकरण (अ+ब) (अ+ब), (अ-ब) (अ-ब), (अ+ब) (अ-ब) से संबंधित प्रश्न। समांतर श्रेणी- परिभाषा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद (n वां पद) तथा n पदों का योगफल। समांतर माध्य। वाणिज्य गणित - बैंकिंग-बचत खाता, सावधि जमा खाता एवं आवर्ति जमा खाता पर ब्याज की गणना। आयकर की गणना (केवल वेतनभोगी के लिए तथा गृह भाड़ा भत्ता को छोड़कर) गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्त्य।

दो बिन्दुओं के बीच की दूरी, रेखाखंड का अनुपातिक विभाजन (विभाजन सूत्र) त्रिभुज का क्षेत्रफल, तीन बिन्दुओं के

समरेख का प्रतिबंध। त्रिकोणमिति-त्रिकोणमिति के कोणों की माप षष्टिक, शक्तिक एवं वृत्तीय पद्धति, चाप-त्रिज्या एवं केन्द्रीय कोण के संबंध। पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात को सिद्ध करना।

$\sin(90^\circ - \epsilon) = \cos \epsilon$ ,  $\cos(90^\circ - \epsilon) = \sin \epsilon$ ,  $\tan(90^\circ - \epsilon) = \cot \epsilon$ ,

$\cot(90^\circ - \epsilon) = \tan \epsilon$ ,  $\sec(90^\circ - \epsilon) = \operatorname{cosec} \epsilon$ ,  $\operatorname{cosec}(90^\circ - \epsilon) = \sec \epsilon$

इससे संबंधित प्रश्न। क्षेत्रमिति-प्रिज्म-पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन।

बेलन-पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। शंकु - पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन।

गोला - पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ज्यामिति- समरूप त्रिभुज, वृत्त, ज्यामिति रचनाएं।

द्विआधारी अंकन पद्धति, संक्रियाएं द्विआधारी का दाषमिक में एवं दाषमिक का द्विआधारी में परिवर्तन। एलगोरिथम या कलन विधि-इसका अर्थ तथा विशेषताएं, परिमितता, निश्चितता, निवेश, निर्गम तथा प्रभावशीलता। सांख्यिकी- माध्य, पाई-चार्ट, समान्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य इत्यादि। मध्यिका, बहुलक पर आधारित सामान्य प्रश्न, प्रायिकता। वैदिक गणित- जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजांक से उत्तर की जांच। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विकुलम एवं उसके अनुप्रयोग तथा बीजगणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग आदि। भारतीय गणितज्ञ एवं उनका कृति-आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन के संदर्भ में।

गणितीय संक्रियाएं, मूल संख्यात्मक कार्य (संख्या और उनके संबंध आदि, परिमाण क्रम इत्यादि), आंकड़ों की व्याख्या (चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्तता इत्यादि) एवं आंकड़ों का विश्लेषण, व्यवहारिक गणित - लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज एवं औसत। समय, गति, दूरी, नदी, नाव।

सादृश्य (संबंधात्मक) परीक्षण, विषम शब्द, शब्दों का विषम जोड़ा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, संबंधी परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, छूटे हुए अंक या शब्द की प्रविष्टि, कथन एवं कारण, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण, आकृति श्रेणी, तथ्यों का लुप्त होना, सामान्य मानसिक योग्यता।

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  ;  $\frac{1}{2}$  ;  $\frac{1}{2}$  &

दर्शन शास्त्र का स्वरूप, जीवन, विज्ञान एवं संस्कृति से उसका संबंध, धर्म दर्शन का स्वरूप एवं क्षेत्र, धर्मों की एकता एवं विश्वव्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता एवं पंथनिरपेक्षता, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन। योग दर्शन, अष्टांग योग- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, आसन एवं प्राणायाम का मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव।

$\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$  &

समाजशास्त्र-अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति, अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध। प्राथमिक अवधारणाएं - समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियां एवं लोकाचार। व्यक्ति एवं समाज - सामाजिक अंतः क्रियाएं, स्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, समाजीकरण। हिन्दु सामाजिक संगठन - धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ। सामाजिक स्तरीकरण - जाति एवं वर्ग। सामाजिक प्रक्रियाएं - सामाजिक अंतः क्रिया, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन - सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं एवं कारक। भारतीय सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाव, विषमता। सामाजिक शोध एवं प्रविधियां - सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का

उपयोग, वस्तुनिष्ठता की समस्या, तथ्य संकलन की प्रविधियां एवं उपकरण-अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची।

ANNEXURE-III

**State Services Main Examination**

॥१३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ &

जनजातीय समाजिक संगठन, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजातीय विकास – इतिहास, कार्यक्रम व नीतियां – संवैधानिक व्यवस्था। छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां, अन्य जनजातियां, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण एवं विशेष परंपराएं, जनजातीय समस्याएं : पृथक्करण, प्रवासन और परसंस्कृतिकरण।

॥१३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ &

छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोकसाहित्य एवं प्रमुख लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोककथा, लोक नाट्य, जनऊला, मुहावरे, हाना, लोकोक्ति। छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य, संगीत एवं ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं, उक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार।

**भाग-5 छत्तीसगढ़ की संस्कृति –**

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले तथा पर्व-त्यौहार, प्रमुख पुरातत्विक केन्द्र – भोरमदेव, मल्हार, डीपाडीह, महेशपुर, सिरपुर, राजिम, मदकुद्वीप, शिवरीनारायण, ताला, पचराही, बारसूर, पर्यटन केन्द्र-चित्रकुट, अमृतधारा, मैनपाट, डोंगरगढ़, गिरौदपुरी, दामाखड़ा, रामझरना, तुरीधाम, दमउदहरा, दंतेवाड़ा, रतनपुर, मडवारानी, चन्द्रपुर, घटारानी इत्यादि, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और बस्तर के जलप्रपात एवं गुफाएं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत।

\*\*\*\*\*

**QUESTION PAPER-01**

**Language**

(Marks: 200, Duration: 3 hours)

**Section - 01 - General Hindi ¼ kekl; fgUnh½**

भाषा-बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समोच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि-विच्छेद, सामासिक पदरचना एवं समास-विग्रह, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्ति (अर्थ एवं प्रयोग), पत्र लेखन, हिन्दी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं।

**Section - 02 - General Sanskrit ¼ kekl; | ¼dŕ½ &**

संधि: – संधि विच्छेद, संधि नाम, संधि, शब्द रूप:–स्वरान्त, व्यञ्जान्त, सर्वनाम, संख्यावाची, वाच्य-परिवर्तन-कारक विभक्तियां- अनुवाद- हिन्दी से संस्कृत, संस्कृत से हिन्दी, अव्यय, समास के सभी प्रकार, विग्रह एवं सामासिक शब्द, रचना:-निबन्ध, अपठित गद्यांश, पत्र-लेखन, सुभाषितानि।

**Section - 03 - General English**

Comprehension, Precis Writing, Re arrangement and Correction of Sentences, Synonyms, Antonyms, Filling the Blanks, Correction of Spellings, Vocabulary and usage, Idioms and Phrases, Tenses, Prepositions, Active Voice and Passive voice, Parts of Speech, Translation- English to Hindi, Letter writing.

**Section - 04 - Chhattisgarhi Language ¼Nŕhl x<h Hkk"kk½ &**

छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, हिन्दी से छत्तीसगढ़ी एवं छत्तीसगढ़ी से हिन्दी प्रशासनिक शब्दकोश।

**QUESTION PAPER -02**

**Essay**

(Marks: 200, Duration- 3 hours)

Candidates will have to write two essays on problems (Reason, present status including data and solution) from each section. Three problems will be given in each section; candidate will have to write essay on each section about 1500 words. Each section will carry 100 marks.

**Section I** : Problems of National level

**Section II** : Problems relating to the State of Chhattisgarh

**QUESTION PAPER - 03**

**History, Constitution and Public Administration**

(Marks 200, Duration 3 hours)

**SECTION 01 - HISTORY OF INDIA -**

Indus Civilization, Vedic Civilization, Jainism and Buddhism, Rise of Magadh Empire, Mauryan Polity and Economy, Gupta Empire, Development of Art, Architecture, Literature & Science In Gupta-

**क्रमशः**

Vakataka Period. Bhakti Movement, Sufism, Growth of Literature in regional Languages, Vijaya Nagar Kingdom, Rise of Marathas, Advent of Europeans and factors leading to the British Supremacy, Expansion of British Empire- Wars and diplomacy, Rural Economy-Agriculture, Land Revenue Systems - Permanent Settlement, Ryotwari, Mahalwari, Decline of handicrafts, Relation of East India Company with States, Changes in Administrative Structure, Urban Economy after 1858, Development of Railways, Industrialization, Constitutional Development.

#### **SECTION 02 - INDIAN NATIONAL MOVEMENT -**

Rise of Nationalism, The Revolt of 1857, Establishment of Indian National Congress, Partition of Bengal and Swadeshi Movement, Rise and Growth of Communalism, Revolutionary Movements, Home Rule Movement, Gandhian Movements, Workers, Peasant and Tribal Movements, Quit India Movement, Indian National Army, Independence and Partition of India, Merger of States, Socio-Religious Reform Movements - Brahmo Samaj, Arya Samaj, Prarthna Samaj, Ram Krishna Mission.

#### **SECTION-03 HISTORY OF CHHATTISGARH AND CONTRIBUTION OF CHHATTISGARH IN NATIONAL MOVEMENT -**

History of Chhattisgarh from Vedic age to Gupta Period, Major dynasties like Rajarshitulya Kula, Nala, Sharabhpuris, Pandu, Somvanshis etc. The Kalchuris and their Administration, Chhattisgarh under the Marathas, Former princely states of Chhattisgarh and Zamindaris, British Rule in Chhattisgarh, Feudatory States, Revolt of 1857, Freedom Movement in Chhattisgarh, Workers, Peasant and Tribal Movements, Constitution of Chhattisgarh State.

#### **SECTION 04 : CONSTITUTION OF INDIA**

Historical background of Indian Constitution ( 1773-1950), Salient Features of Constitution, Preamble, Nature of Constitution, Part III- Fundamental Rights, Part IV- Directive Principles of State Policy, Right to Constitutional Remedies, ( writs), Judicial Review and Judicial Activism, Fundamental Duties, The Union- Executive, Parliament, Supreme Court, Attorney General, The State- Executive, Legislative, High Courts, Advocate General and Subordinate Courts, Relations between the Union and the States- Distribution of legislative powers, administrative relations, financial relations, Services under the Union and the States. All India Services, Union and State Public Service Commissions. Tribunals and Administrative Tribunals, Election and Election Commission, Special provisions relating to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, Panchayat and Municipalities, Official Language- Language of the Union and Regional Languages, Emergency Provisions, Amendment of the Constitution, Concept of the basic structure, Schedules, Constitutional Amendments update.

#### **SECTION 05- PUBLIC ADMINISTRATION -**

Public Administration - Meaning, Scope, Nature and Importance. Public Administration and Private Administration under Liberalization. New Public Administration, Development Administration and Comparative Public Administration, New dimensions of Public Administration. State vs. Bazar. Rule of Law, Organization- Principles, Approaches, structure. Management- leadership, policy formulation, decision making theory. Tools of Administrative Management- Co-

ordination, Delegation, Communication, Supervision and Motivation, Administrative Reforms, Good Governance, Bureaucracy, District Administration, Theory of Natural Justice. Control over Administration in India- Parliamentary, Financial, Judicial and Executive Control. Lokpal and Lok Ayukta. Right to Information, Concept of State, Sovereignty, Democracy- Direct and Indirect. Parliamentary and Presidential, Federal and Unitary Government. Theory of Separation of Power.

#### **QUESTION PAPER - 04**

#### **SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT**

**(Marks 200, Duration 3 hours)**

#### **SECTION-01 - CHEMISTRY**

Rate of chemical reaction and chemical equilibrium - Preliminary knowledge of rate of chemical reaction. Fast and slow chemical reactions. Reversible and irreversible chemical reactions. Reversible reaction and dynamic nature of equilibrium. Acids and bases. pH scale [simple numerical questions. Exothermic and endothermic reactions. Some important chemical compounds - properties and uses. Method of production manufacture [water, washing soda, baking soda bleaching powder and plaster of Paris.] preparation of building material-lime cement glass and steel. Metals - Position of metals in the periodic table and general properties. Metal, mineral ore. Difference between mineral and ore. Metallurgy-concentration, roasting, smelting, refining of ores. Metallurgy of copper and Iron. corrosion of metals. Alloys. Nonmetals - Position of nonmetals in the periodic table. Preparation properties and uses of Hydrogen oxygen and nitrogen. Some important organic compounds - laboratory method of preparing alcohol and acetic acid, properties and uses some general artificial polymers, polythene, polyvinyl chloride. Teflon soap and detergents.

#### **SECTION-02 - PHYSICS -**

Source of Energy - Conventional and new sources of energy, source of solar energy, causes of origin of energy in the Sun, solar heating devices, solar cooker solar cell, wind energy, biogas, fossil fuels, ideal fuel properties of ideal fuel. Nuclear energy, nuclear Fission, Fusion, chain reaction, nuclear reactor, uses and harms of nuclear energy. General information about CREDA. Light - nature of light reflection of light, laws of reflection, reflection from plane and curved surface, image formation by plane convex and concave mirror, relation between focal length and radius of curvature, determination of focal length of concave mirror by single pin method. [Relation between  $u-v-f$  [numerical examples. Refraction of light - laws of refraction, refraction by glass slab, critical angle, total internal reflection, use of total internal reflection in daily life. lens [converging and diverging lens. Definition focal length optical centre image formation by lens. Human eye, its defects and remedies. Comparison between photographic camera and human eye. Simple telescope and astronomical telescope. Construction working, uses, ray diagram [no formula derivation]. Electricity and its effects - electric intensity, potential, potential difference, electric current Ohm's law. Resistance specific resistance, influencing factors, combination of resistance and related numerical examples thermal effect of current it's use, calculation of power and electrical energy spent. (numerical) precautions observed in electric experiments. Chemical effects of electric current. Primary and secondary cells their properties and drawback. Leclanche cell, dry cell, lead accumulator cell, construction. Magnetic

effect of current - Magnetic effect of current, Oersted experiment, electro magnetic induction, electric motor, working principle and use of generator, general studies of alternating current and direct current, electric discharge in gases, discharge tube, cathode rays, X-rays and their properties. Magnetism - Magnet and its types artificial magnet, methods of preparing magnets, molecular theory of magnetism, demagnetization, magnetic keepers, magnetic lines of force and their properties. Plotting the lines of force Terrestrial magnetism, magnetic storm. magnetic meridian geographical meridian, relation between VHI and  $\theta$ .

### SECTION-03 - BIOLOGY -

Animal nutrition - Types of nutrition, Autotrophic Nutrition, heterotrophic Nutrition, Holozoic, Parasitic, Saphrophytic, 'symbiotic, Insectivorous. Important terms of nutrition process. Digestion in unicellular cell animal [amoeba] and multicellular animal grass hopper. Human digestive system and digestive process. Photosynthesis, main steps of the process. light reaction and dark reaction. Factors influencing Photosynthesis. Experiments related to photo synthesis. Respiration - Definition, respiratory organs of animals breathing and respiration, Types of respiration, Aerobic and anaerobic respiration, respiratory system of human being and mechanism of respiration [general information], respiratory quotient [RQ] of carbohydrate, fat and protein. Transport of mineral and water in plants and animals [in context of human being] Composition and function of blood, structure and working of heart, structure and function of blood vessels [preliminary knowledge] coagulation of blood, blood group, blood transfusion, blood bank, function of lymph system. diseases related to heart. Excretion - excretion in plants and excretory product. Excretion in animal and excretory organs. Excretion system of man and excretion process [general information] artificial kidney dialysis. Osmoregulation. Diseases related to kidney. Control and coordination - coordination in plants and animal Phytohormones. Nervous system of human being. Structure and function of human Brain and spinal cord, reflex action, endocrine glands hormone and their function. Reproduction and growth - type of reproduction Asexual reproduction fission, budding, regeneration, vegetative reproduction, layering, cutting, grafting, Porthenogenesis, sexual reproduction in plants, structure of flower and reproduction process [general information] pollination fertilization. Human reproductive system and reproduction process. Heredity and evolution - heredity and variation. basis of heredity chromosome and DNA [preliminary information] gene. sex determination preliminary knowledge of organic evolution [Oparin's theory only].

### SECTION-04 - TECHNOLOGY -

National policy of science and technology and changes in the policy from time to time, purpose of technology. Space programme in India and its applications with special reference to industrial, agricultural and other rural developmental activities, INSAT and IRS systems. Role of Information Technology in Rural India, basic knowledge of computers, computers in communication and broadcasting, software development for economic growth. Broad applications of IT. Energy Resources : Energy demands, renewable and nonrenewable energy resources, nuclear energy, the development and its utilization in the country. Current Science & Technology developments in India, origin of agriculture, Progress of Agricultural Science and its impacts, Crop science in India, Fertilizers, Control of pests and disease scenario in India.

### SECTION-05 - ENVIRONMENT -

Bio-diversity and its conservation - General introduction - definition, species and genetic diversity, Bio-geographic classification of India, Importance of Bio-Diversity - Constructive and Destructive application, Importance of social, moral and alternative vision, Global, National and Local level Bio-diversity, India as a wide diversity nation, Hotspots of Biodiversity, threats to biodiversity, Residential damage, damage to wildlife, humans and wild animals struggle, India's threatened (endangered) and local species, Conservation of bio-diversity, Topological and Nontopological conservation. Environmental pollution - Reason effect and conservation - Air pollution, water pollution, sea pollution, soil pollution, sound/noise pollution, thermal pollution, nuclear pollution. Solid waste management - Urban and Industrial solid waste management: reason, effect and control, Human role in pollution control, Disaster Management, Floods, Earthquake, Cyclones and Landslide. Human Population and Environment, Population growth, Variation in the population in various countries. Population explosion and Family Welfare Programme. Environment and Human health.

## QUESTION PAPER - 05 ECONOMICS AND GEOGRAPHY (Marks 200, Duration 3 hours)

### SECTION-01 - INDIAN ECONOMICS -

National and per capita income, Structural changes in the Indian Economy ( GDP and work force), Changes in the role of Public and Private Sectors and their shares in the total plan outlay of the latest plan, Economic Reforms, problems of poverty and unemployment , magnitude and measures initiative to ameliorate them, Monetary Policy-structure of Indian Banking and non-banking financial institutions and reforms in them since 1990s. Regulation of Credit by RBI. Pattern of Revenue, Expenditure, Public Debt, fiscal deficit and effects on the Economy.

### SECTION-02 - PLANNING IN INDIA -

Indian Planning- Objectives , Priorities, Planning Commission and its functions. Specific objectives of the latest Five Year Plan, evaluation and problems. Bharat Nirman Yojna, MNREGA, Procedure in financial matters in Constitution of India, Financial relation between Union and States, Comptroller & Auditor-General of India.

### SECTION-03 - GEOGRAPHY OF CHHATTISGARH -

Physical features, location & extent, Physical Divisions and Drainage System, Climate , soil types, Vegetation and their importance, flora and fauna. Human Features Population Growth, Density and Distribution. Infant and Maternal Mortality rate etc.

### SECTION-04 - ECONOMICS OF CHHATTISGARH -

Demographic features and social backwardness of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward classes and Minorities. Literacy and occupation structure, changes in the sectoral distribution of income and employment. Socio, Political and Economic empowerment of Women. Child Labour problem. Rural Development, State Finance and Budgetary policy- Tax structure, Sharing Central Taxes, Expenditure pattern in Revenue and Capital Account as well as plan and non-plan

expenditure. Public Debt composition- Internal and External Debt including World Bank loans, Institutional and non-institutional sources of Rural Credit in Chhattisgarh. Structure and growth of Co-operatives and their shares in total credit adequacy and problems.

#### **SECTION-05 - AGRICULTURE, FOREST, INDUSTRY AND NATURAL RESOURCE OF CHHATTISGARH -**

Agriculture and Forest in Chhattisgarh, Structure of Agriculture output. Administered prices including minimum support and procurement prices. Public Distribution System in Chhattisgarh. Cropping pattern, means of irrigation and their importance, modernization of agriculture, agricultural problems and planning, Growth and Structure of Industries in Chhattisgarh- large, medium, small and tiny sectors. their comparison, growth, weaknesses and problems, Natural Resources, Minerals, Energy and Water Resources, Thermal and Hydel Electricity Projects, Solar Energy, Forest and Mineral based Industries in Chhattisgarh.

#### **QUESTION PAPER - 06**

##### **Mathematics and Reasoning Ability**

**(Marks 200, Duration 3 hours)**

**SECTION-01** - Rational Numbers - Addition, subtraction, multiplication and division of rational numbers. Finding the rational number between two rational number. Ratio and Proportion - definition, properties, atermments, inuertends, componendo, etc. and their uses. Simultaneous equation,  $(a + b) (a + b)$ ,  $(a - b) (a - b)$ ,  $(a + b) (a - b)$  related quections. Arithmetic progression - Definition, general (n th) term and sum of n terms, arthmetic mean. Commercial Mathematics - Banking, calculation of interest on/in savings account, fixed deposit account and recurring deposit account. Calculation of income tax (for salaried person and excluding house rent allowance). Factorization, LCM and HCM.

**Section 2** - Coordinate Geometry : Distance between two points, proportional division of a line (section formula), area of triangle, condition of co-linearity of three points. Trigonometry - Measure of angles in the sexagesimal. contesimal and circular systems, relation between arc, radius and central angle. Proof of the trigonometrical ratios of complementary angles -  $\sin(90^\circ - \acute{\epsilon}) = \cos \acute{\epsilon}$ ,  $\cos(90^\circ - \acute{\epsilon}) = \sin \acute{\epsilon}$ ,  $\tan(90^\circ - \acute{\epsilon}) = \cot \acute{\epsilon}$ ,  $\cot(90^\circ - \acute{\epsilon}) = \tan \acute{\epsilon}$ ,  $\sec(90^\circ - \acute{\epsilon}) = \operatorname{cosec} \acute{\epsilon}$ ,  $\operatorname{cosec}(90^\circ - \acute{\epsilon}) = \sec \acute{\epsilon}$  and related questions. Mensuration - Surface area and volume of prism, cylinder, cone and sphere. Similar triangles, circls and geometrical consitructions.

**Section 3** - Binary digit system, change in binary number to decimal number and decimal number to binary number. Algorithm method - meaning and quality, indefinite, definate, input and output, effectiveness. Averages - arithmatic, geomatric and harmonic meance, median, mode, pie-chart. Probability. Vedic Mathematic, additional, subtraction, multiplication, devision and checking the answer - square, square roots, cube roots, vinculam and its application, the application of vedic mathematics methods in algebra. Introduction and contribution of Indian Mathematition (Aryabhata, Varaha mihira, Brahma gupta, Bhaskaracharya, Shrinivas Ramanujan).

**Section 4** - Data Analysis - Mathematical operation Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude etc.), Data

interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.) and analysis of data. Applied mathematics - Profit and Loss, Percentage, Interest and averages. Time, speed, distance, river and boat.

**Section 5** - Logical Resonint - Analog Test, Odd word, Odd pair of words, Coding & Decoding Test, Relation Test, Alphabet Test, Mathematical Operations, Logical analysis of words, Inserting the missing number or word, Assertion and Reason, Situation reaction test, Figure series, Deletion of elements, General Mental ability.

#### **QUESTION PAPER - 07**

##### **Philosophy and Sociology**

**(Marks 200, Duration 3 hours)**

**SECTION-01** - Indian Philosophy and Yog - Nature or Philosophy, its relation with life, science and culture. Nature and scope of philosophy and religion. Unity and universality of religions, religious tolerance and secularism, comprative study of Indian and Western Philosophy. Yoga Philosophy (Yog Darshan), Ashtang yog - Yam, Niyam, Aasan, Pranayam, Pratyahar, Dharna, Dhyana and Samadhi. Effect of aasan and pranayam on human health.

**SECTION-02** - Sociology - Sociology- Meaning, Scope and nature, Importance of its study. Relation with other Social Sciences. Primary Concepts - Society, Community, Association, Institution, Social group, Folkways and Mores. Individual and Society - Social interactions, Status and role, Culture and Personality, Sociolization. Hindu Social Organization - Religion, Asharm, Varna, Purusharth. Social Stratification - Caste and Class. Social Processes - Social Interaction, Co-operation, Struggle, Competition. Social Control and Social Change - Sources and agencies of Social Control, Processes and factors of Social Change. Indian Social Problems, Social disorganization-Anomie and Alienation, Inequality. Social Research and Techniques - Objective of Social Research, Use of scientific method to study of Social Phenomena, Problems of objectivity. Tools and techniques of data collection- Observation, Interview, Questionnaire, Schedule.

**SECTION-03** - Tribes of Chhattisgarh - Tribal social organization : Marriage, Family, Clan, youth dormitories. Tribal Development : History, Programmes and Policies, The Constitutional Safeguards, Special Primitive Tribes of Chhattisgarh, Other Tribes, Schedule Cast and Other Backword Class of Chhattisgarh. Main Ornaments popular in tribes of Chhattisgarh, Special traditions. Tribal Problems : Isolation Migration and acculturation.

**SECTION-04** - Art of Chhattisgarh - Folk arts of Chhattisgarh, Folk literature and Prominent Folk Artists of Chhattisgarh, Folk songs of Chhattisgarh, Folk legend, Folk theater, Idioms and Proverbs, Puzzle/ riddle (जनकला), Singing (हाना), Literary, Music and Art Institutions of Chhattisgarh, Chhattisgarh State awards and Regards in these fields.

**SECTION-05** - Culture of Chhattisgarh - Folk culture, Chief Fares and Festivals of Chhattisgarh. Major Archaeological Center - Bhoramdev, Mallhar, Deepadih, Maheshpur, Sirpur, Rajim, Matku Dwip, Sivrinarayan, Taala, Pachrahi, Barshur, Tourism Centre - Chitrakot, Amritdhara, Mainpart, Dongarhgarh, Girodhपुरi, Damakheda, Ramjharna, Turri Dham, Damohdehara, Dantewada, Ratanpur, Madwarani, Chandrapur, Ghatarani, etc., National Park, Sanctuaries and Water falls and caves of Bastar, Prominent sants of Chhattisgarh.



## परिशिष्ट &amp; चार 1/6 1/2

## ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

jkT; l o k i j h {kk&2012 dsfy, vkWlykbu vkonu djus ds l cark ea vko'; d funrk fuEukuq kj gk&

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी 1/6 1/2 और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

vkWlykbu vkonu grq l fO; fyrd ocl kbV www.psc.cg.gov.in ij fnukad 10@01@2013 dks vijkg 12-00 cts l s fnukad 09@02@2013 dks jkf= 12-00 ctsrd mi yC/k jgskA 1/7 1/2

1/1 1/2 आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैंफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master Card or VISA or Maestro Card) या भारतीय स्टेट बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।

1/2 1/2 आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सुविधा केन्द्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों की सुविधा हेतु सुविधा केन्द्रों की सूची आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर इस सूचना के i j f f ' k " V & i k p पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है। सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक सुविधा केन्द्र संचालक को शुल्क (परीक्षा शुल्क+पोर्टल शुल्क) का नगद भुगतान कर आवेदन की केवल एक रसीद प्राप्त करेंगे। उक्त रसीद में आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई समस्त प्रविष्टियों का उल्लेख होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा आवेदन की एक रसीद का प्रिंट प्रदान करने हेतु परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान सुविधा केन्द्र को नहीं करना है। यदि आवेदक द्वारा सुविधा केन्द्र से अन्य कोई सेवा ली जाती है, जैसे-फोटो खिचवाना, फोटो एडिट करवाना, दस्तावेजों की फोटो कॉपी करवाना, ऑनलाइन आवेदन के रसीद की अतिरिक्त कॉपी प्राप्त करना, तो आवेदक को संबंधित सेवा हेतु सुविधा केन्द्र द्वारा निर्धारित शुल्क अलग से देय होगा। यदि ऑनलाइन आवेदन जमा करने तथा आवेदन की एक रसीद प्रदान करने हेतु सुविधा केन्द्र संचालक द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो निम्न मोबाईल नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं:-

Help Desk Number - 9981996587, 9981996597

ऑनलाइन आवेदन से संबंधित अन्य किसी सहायता के लिए भी उक्त नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है।

1/3 1/2 ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु दिनांक 01/12/2012 या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए।

1/4 1/2 आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन के इस i j f f ' k " V के पृष्ठ क्रमांक 3 पर निर्धारित बॉक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइंट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। यदि आवेदक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना चाहे तो फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज सुविधा केन्द्र संचालक को स्कैन हेतु प्रदान कर स्कैन पश्चात वापस ले लें। यदि आवेदक स्वयं स्कैन करना चाहे तो फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्कैन करें कि स्कैन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्कैन न हो। उक्त प्रकार से स्कैन की हुई इमेज को jpg फारमेट में save करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन की हुई इमेज का साइज 50Kb से अधिक न हो।

आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय ऑनलाइन आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को पूरा करने के पश्चात् उसे ऑनलाइन आवेदन के निचले हिस्से में स्थित **Browse** बटन को क्लिक कर फोटो व हस्ताक्षर अटैच करना होगा। **Browse** बटन दबाने पर आवेदक को स्कैन कर **save** की हुई jpg इमेज का **address** सेलेक्ट कर **Ok** बटन दबाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिए गए निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में चाही गई है कि सही-सही प्रविष्टि की जाए।

1/7 1/2 vk; kx }kjk vkWlykbu vkonu djus dh i fO; k ea; g l e> fy; k x; k gS fd] vkond }kjk tks tkudkj h vkWlykbu vkonu ea v fdr dh tk jgh gS og i ækf. kr tkudkj h gA vr% vkWlykbu vkonu Submit djus ds i o l vkond vi us vkonu dh l eLr i fof"V; ka dks l ko/kkuhi i o l Hkyh Hkkr i <+ , oal e> yA vkond vi us }kjk nh xbl tkudkj h l s l r d V gkus ds i ' pkr- gh vkWlykbu vkonu dks Submit cVu fDyd dj tek djA

1/8 1/2 ऑनलाइन आवेदन **Submit** करने के बाद स्वतः खुलने वाले **Page** पर आवेदक द्वारा की गई समस्त प्रविष्टियों, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर के साथ-साथ भुगतान की स्थिति व आवेदन क्रमांक की सूचना मिलेगी। यही ऑनलाइन आवेदन की रसीद होगी। आवेदक उक्त **Page** पर उपलब्ध **Print** बटन को क्लिक कर आवेदन की रसीद का प्रिंटआउट प्राप्त कर अपने पास अवश्य रखें। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए साक्षात्कार के समय उक्त रसीद की हस्ताक्षरित कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदक यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामन्य **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आपके ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

1/9 1/2 ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद (fnukad 10@02@2013 को अपराह्न 12.00 बजे से दिनांक 19@02@2013 को रात्रि 12.00 बजे) तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार शुल्क के रूप में अभ्यर्थी को रुपये 30/- का भुगतान करना होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु सुविधा केन्द्र की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं। v f r e f r f f k ds i ' pkr- vkWlykbu vkonu dh i fof"V ea fdl h Hkh i d k j dk l d k s /ku ugha fd; k tk, xk r f k b l l cark ea vk; kx fdl h Hkh vH; konu i j fopkj ugha d j x k A आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि त्रुटि सुधार पश्चात् प्राप्त आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामन्य **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक द्वारा किया गया त्रुटि सुधार मान्य नहीं होगा।

vkond ; g /; ku j [ka fd j k T; l o k i j h {kk&2012 ds vkonu i = ea g p l fdl h Hkh = fV dk l q k k j p; u ds fdl h Hkh Lrj i j ugha fd; k tk l d s x k A vr% vH; Fk h z vi uk vkonu vR; r l ko/kkuhi i o l Hk j A ; f n f O j Hkh d k b l = fV g k r h g S r k s = fV l q k k j v o f / k ea o k f N r l q k k j d j y A vkWlykbu vkonu @ = fV l q k k j g r q vkonu ' k y d % &

1/10 1/2 छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आते हैं, के लिए रुपये 300@& (रुपये तीन सौ) एवं शेष सभी श्रेणी के लिए तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400@& (रुपये चार सौ) आवेदन शुल्क देय होगा।

1/11 1/2 प्रत्येक आवेदक के लिए उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 35@& रुपये देय होगा।

1/12 1/2 ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा 30/- रुपये का त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। एक

आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार किया जा सकता है।

1/4 1/2 प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग करता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि रुपये 100/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क रुपये 30/- के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

1/4 1/2 परीक्षा शुल्क, त्रुटि सुधार शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

### ऑनलाइन आवेदन संबंधी शुल्क जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी

स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में किसी भी शुल्क का भुगतान आवेदक स्वयं क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकता है। सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करने की स्थिति में किसी भी शुल्क का भुगतान आवेदक को सुविधा केन्द्र को नगद में करना होगा।

1/4 1/2 इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन व परीक्षा शुल्क भरने की विधि :&

आवेदक [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए [vko f n r i n g r i v k l y k b u v k o n u l s l c f / k r f y d d k s f d y d d j](#) विशेष वेब पेज पर जा सकते हैं जिस पर ऑनलाइन प्रक्रिया से सम्बंधित निम्न **Links** उपलब्ध होंगे :-

**Click here to View/Print Advertisement**

**Click here to know your Application No.**

**Click here to Apply Online**

**Click here to Pay for Unpaid Application**

**Click here to View/Print Duplicate Receipt**

**Click here for Editing in Online Application**

**Click here to View/Print List of Rejected Applications**

**Click here to View/Print Online Admit Card**

आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना आवेदन भर सकता है। आवेदक भरने से पहले **Click here to View/Print Advertisement** को क्लिक कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply Online** को क्लिक करें। इसके बाद आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को आवेदन में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है।

आवेदक को फार्म पर नीचे की ओर एक बटन **Browse** दिखाई देगा। इसके माध्यम से आवेदक को अपना नवीनतम फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। अटैचमेंट के संबंध में विस्तृत जानकारी इस परिशिष्ट के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दी गई है।

आवेदक को आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी दी गई है वह सही है। यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे:-

i. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

ii. इंटरनेट बैंकिंग

1/4 1/2 [0sfmv dkmz@mfcv dkmz ds ek/; e l s i j h {k k 'k y d dk Hkq rku %&](#) आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना आवेदन भर सकता है। आवेदन भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के

क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का नाम तथा कार्ड का प्रकार चुनने का विकल्प दिखाई देगा उचित चयन के पश्चात बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत **Confirm** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्राप्त होगी। रसीद पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी का उल्लेख होगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए साक्षात्कार के समय उक्त रसीद की हस्ताक्षरित कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।

1/4 1/2 [bajuv cfdx ds ek/; e l s i j h {k k 'k y d dk Hkq rku %&](#) आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक अपना आवेदन भरने के उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबायेगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी, पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर रसीद दिखाई देगी। अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो अन्यथा आपका आवेदन आयोग को प्राप्त नहीं होकर स्वयमेव निरस्त हो जाएगा। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए साक्षात्कार के समय उक्त रसीद की हस्ताक्षरित कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा।

(कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।)

1/4 1/2 **सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन @ परीक्षा शुल्क भरने की विधि:&**

आवेदक आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी सुविधा केन्द्र पर जा सकता है। [0/0/kk dlnz dh l p h vk; ks dh ox l kbV www.psc.cg.gov.in ij mi y/c/k g%](#) सुविधा केन्द्र संचालक सर्वप्रथम [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध करायेंगी। आवेदक इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें ताकि मांगी समस्त जानकारियां आवेदन में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक सुविधा केन्द्र संचालक को मदद से जानकारी भर लें एवं आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व इस [ifjf'kV](#) के पृष्ठ क्रमांक 3 पर निर्धारित बॉक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। आवेदक फोटो व हस्ताक्षर युक्त उक्त पेज सुविधा केन्द्र संचालक को स्केन हेतु प्रदान कर स्केन पश्चात् वापस ले लें।

सुविधा केन्द्र संचालक की मदद से आवेदक फोटो हस्ताक्षर स्केन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक आवेदन में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही सुविधा केन्द्र संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। सुविधा केन्द्र संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद की एक प्रति आवेदक को प्रदान करेगा। रसीद

में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। आवेदक इस रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास संभालकर रखें। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए साक्षात्कार के समय उक्त रसीद की हस्ताक्षरित कॉपी जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन की रसीद पर **Payment Status** के सामने **Payment Done** अवश्य लिखा हो, ऐसा नहीं होने पर आवेदक के ऑनलाइन आवेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

Qk&V%

1/4 1/2 vkond j l hn ea nh xbz tkudkfj ; k& dks / ; kui n d i < + ya vkj vi us i kl l kkydyd j [kA

2/4 1/2 tkudkfj h dh 'kq' rk , oa l R ; rk rFkk vkonu i f 0 ; k i n k djus dk i j k mRrjnkf ; Ro vkond dk gksxA

3/4 1/2 l fo/kk dlnz ds ek / ; e l s vkonu djrs l e ; vkond vklykbu vkonu dh i f d z ; k vi uh fuxjkui eagh djok , A vklykbu vkonu ea gbz fdl h Hkh i d k j dh = f V ds fy , vkond l fo/kk dlnz vFkok vk ; kx dks mRrjnk ; h ugha Bgjk l d k A l fo/kk dlnz vkonu ds nkj ku vkond dh l gk ; rk ds fy , cuk , x , g u fd vkond dh vkj l s vklykbu vkonu tek djus ds fy , A

3/4 ; fn vkond Lo ; a vi us ?kj vFkok l kbcj d Qs l s vklykbu vkonu djuk pgs rFkk ml ds i kl 0 f M V d k M l @ M f c V d k M l ; k u s / c f d x l fo/kk mi y / k ugha g s r k s H k j s x ; s Q k e l d k l fo/kk dlnz ds ek / ; e l s **Click here to Pay for Unpaid Application** fy d j k j k i j h { k k ' k y d dk u x n H k r r k u d j l d r k g A इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार आवेदन करने के उपरांत अपने नजदीकी स्थापित सुविधा केन्द्र पर जाकर भरे गये

आवेदन का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि सुविधा केन्द्र संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत सुविधा केन्द्र संचालक **Pay for unpaid Application** में उक्त जानकारियां भरकर आवेदन ओपन कर लेगा। इसके बाद **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक को कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्रदान करेगा। रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।

★ , d s vkonu Lohdkj ugha f d , t k , a s f t l g a v k l y k b u H k j u s d s c k n f i a / y d j N R r h l x < + y k d l o k v k ; k x d k s M k d ; k f d l h v l ; e k / ; e l s H k s t k t k , x k A i j h { k k ' k y d d s f y , f d l h H k h i d k j d k M k f V H k h L o h d k j u g h a g k s x k A , d k d j u s i j b l u g a e k U ; u d j r s g q f u j L r d j f n ; k t k , x k j v k j m l d h f t e e n k j h v k o n d d h g h e k u h t k , x h A

& : प्रवेश पत्र : &

1/4 1/2 प्रवेश हेतु बुलावा पत्र प्रारंभिक परीक्षा के 21 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

2/4 1/2 प्रवेश हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट [www.psc.cg.gov.in](http://www.psc.cg.gov.in) पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। i o s k g r q c y k o k i = l fo/kk dlnz ds ek / ; e l s M k m u y k M d j u s i j 5 @ & # i ; s i k s / y ' k y d n s g k s x k A


3/4 1/2 किसी भी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश हेतु बुलावा पत्र न हो।

4/4 1/2 यदि प्रवेश हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हो तो केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।

Qk&V% l g g L r k { k j v V p e a / g r q v k o ' ; d

vkond fuEu ckDI dk iz kx Qk&V% fpi dkdj rFkk gLrk{kj dj LdUu djus grrq dj l drs gA bl cr dk fo'kSk / ; ku j [kk tk , fd vkond ijs ist dh LdFuux u djA d o y Qk&V% rFkk gLrk{kj ; p r ckDI dh gh LdFuux dh tk , A

vkond bl ckDI ds vnj vi uk Qk&V% fpi dk , a



vkond bl ckDI ds vnj gLrk{kj djA



Vhi %

1/4 1/2 ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले आवेदक के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश :- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु [fnukad 01@12@2012](mailto:fnukad01@12@2012) या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि फोटोग्राफर द्वारा प्रिंट की हुई होनी चाहिए।

2/4 1/2 आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व उक्त बॉक्स में निर्धारित बाक्स के अंदर अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाकर फोटो के नीचे हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स के अंदर काले बॉल पॉइन्ट पेन से इस प्रकार हस्ताक्षर करें कि वह स्पष्ट हो तथा हस्ताक्षर का कोई हिस्सा बॉक्स के बाहर न जाए। यदि आवेदक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करना चाहे तो फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज सुविधा केन्द्र संचालक को स्केन हेतु प्रदान कर स्केन पश्चात वापस ले लें। यदि आवेदक स्वयं आवेदन करना चाहे तो फोटो व हस्ताक्षरयुक्त उक्त पेज को इस प्रकार स्केन करें कि स्केन की हुई इमेज में फोटो तथा हस्ताक्षर हेतु निर्धारित बॉक्स को कन्टेन/समाहित करने वाले बॉक्स के बाहर का हिस्सा स्केन न हो। उक्त प्रकार से स्केन की हुई इमेज को **jpg** फॉरमेट में **save** करें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्केन की हुई इमेज का साइज 50Kb से अधिक न हो।

&amp;:: आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सुविधा केन्द्रों की सूची ::&amp;

SN	Suvidha Kendra/Distt	Contact Person	Address	Contact No.
1	BALODABAZAR	krishnabiswas	aisect e gyan centre vill and post bhatgaon block bilaigarh	9098426041
2	BALODABAZAR	hirabhaskar	aisect e gyan centre vill and post sarsiwa block bilaigarh	9993012257
3	BALODABAZAR	satishverma	aisect e gyan centre vill and post suhela block simga	9826772194
4	BALODABAZAR	laxmit hakur	aisect e gyan centre vill and post dondi block dondi	9425898700
5	BALODABAZAR	ashokkumarsahu	aisect e gyan centre vill and post damakhera block simga	9907611928
6	BALODABAZAR	pawandewangan	aisect e gyan centre vill and post bortara block gurur	9993378700
7	BALODABAZAR	bharatlal	aisect e gyan centre vill and post deori block dondi lohara	9981548718
8	BALODABAZAR	pritudeshmukh	aisect e gyan centre vill and post balod block balod	9406208255
9	BALODABAZAR	jageshwarprasad patel	aisect e gyan centre vill and post baloda bazar block baloda bazar	9926480057
10	balrampur	vishalkumar gupta	madhur courier service bus stand ramanujganj	9630649941
11	BASTAR	hurdeshwarijoshi	aisect e gyan centre vill and post bhanpuri block bastar	9993765932
12	BASTAR	vedikasahu	aisect e gyan centre vill and post kilepal block bastanar	9406104612
13	BASTAR	dhirendraogger	aisect e gyan centre vill and post dharampura block bastar	9753322200
14	BASTAR	khalidmeer	aisect e gyan centre vill and post bastar block bastar	9424285087
15	BASTAR	ANANDMURTY	first floor opposite sitaram shivalaya s b i road jagd alpur	9926125022
16	BEMETARA	dhaneshwariverma	aisect e gyan centre vill and post bemetara block bemetara	9425561440
17	BEMETARA	shaktidhardiwan	aisect e gyan centre vill and post nawagarh block nawagarh	9753021021
18	BEMETARA	toranlalsinha	aisect e gyan centre vill and post saja block saja	8889407443
19	BEMETARA	surendrakumarsahu	aisect e gyan centre vill and post nandghat block nawagarh	9993090800
20	bemetara	suneelsharma	gunjera post maro	9977211231
21	BERLA	champheshwardhanker	aisect e gyan centre vill and post hasada block durg	9753586831
22	BIJAPUR	mridulbhoot	aisect e gyan centre vill and post bijapur block bijapur	9424292829
23	bilaspur	diharanlal	aisect e gyan center vill and post dongaria block lormi	9755798148
24	bilaspur	aarti wari	aisect e gyan center vill and post khamhi block lormi	9981963502
25	BILASPUR	ARVINDGARG	PRINT HOUSE KARBALA ROAD BILASPUR	9300320454
26	bilaspur	RajeshGouraha	opp hotel mahua bus stand bilaspur	9893406421
27	bilaspur	hemechandjaiswal	aisect e gyan center vill and post salka block kota	8889729284
28	bilaspur	vijayshankar	aisect e gyan center vill and post bhaneshar block marwahi	8871132253
29	BILASPUR	hemantkumarti wari	aisect e gyan centre vill and post lormi block lormi	9981248568
30	bilaspur	shaileshkumaragrawal	aisect e gyan center vill and post belghana block kota	9424167313
31	bilaspur	deepakkumar thawait	aisect e gyan center vill and post jairamnagar block mastoori	9827192921
32	BILASPUR	jagjeetsinghsaluja	aisect e gyan centre vill and post belha block belha	9893480876
33	BILASPUR	ravikantsahu	aisect e gyan centre vill and post nigarband block thakhatpur	9893531132
34	bilaspur	krishnaprasadtiwari	aisect e gyan center vill and post kotmikala block gaurela	9981638121
35	bilaspur	jitendrakumarti wari	aisect e gyan center vill and post bandha block pathariya	9302776861
36	bilaspur	swatigupta	aisect e gyan center vill and post panigaon block kota	9893934551
37	bilaspur	dineshprabhakar	aisect e gyan center vill ratanpur block kota	9098152310
38	bilaspur	pradeeppandey	aisect e gyan center vill mungeli block mungeli	9826768493
39	bilaspur	sharadrai	aisect e gyan center vill and post marwahi block marwahi	9753643966
40	bilaspur	bhanupratapsahu	aisect e gyan center vill and post kadwa mahant block lormi	9179350881
41	bilaspur	jiyotiwari	aisect e gyan center vill and post koilari block lormi	9893770383
42	BILASPUR	rakhisharma	aisect e gyan centre vill and post bilaspur block belha	9425219505
43	BILASPUR	parvejbharmal	aisect e gyan centre vill and post thakhatpur block thakhatpur	9893770296
44	BILASPUR	PAWANGUPTA	MAIN ROAD	9993825656
45	bilaspur	pradeeppandey	aisect e gyan center vill and post patharia block patharia	9826768493
46	bilaspur	ashishhiradhar	aisect e gyan center vill and post louda block patharia	9993092295
47	bilaspur	gopeshsharma	aisect e gyan center vill and post lingyadih block belha	9977500800
48	bilaspur	kapoorchandlaskra	aisect e gyan center vill and post sipat block mastoori	9907490906
49	bilaspur	devkantsoni	aisect e gyan center vill an post karamkapa block thakhatpur	9993663786
50	bilaspur	pankajkumarpuri	aisect e gyan center vill and post kudri block gaurela	8959811342
51	bilaspur	ramkumarmourya	aisect e gyan center vill and post masturi block masturi	9302651300
52	BILASPUR	sanjeevgupta	aisect e gyan centre vill and post beltara block belha	9893934551
53	bilaspur	sanjeevtrpati	aisect e gyan center vill and post malhar block masturi	9300277694
54	bilaspur	vijaynayak	aisect e gyan center vill and post dhamani block belha	9754737982
55	bilaspur	dineshsinghchouhan	aisect e gyan center vill and post sendari block belha	9039168971
56	BILASPUR	PRASHANTMAKH IJA	SANDEEP ELECTRICALS MAHUA COMPLEX BUS STAND	9300616836
57	BILASPUR	santoshsinghrajput	aisect e gyan centre vill and post yadunandan nagar block belha	9826814562
58	bilaspur	ajaykashyap	aisect e gyan center vill and post newsa block belha	9827666041
59	BILASPUR	DINESHMAKH IJA	SURESH PUSTAK SADAN MAIN ROAD	9981491525
60	bilaspur	hemantgajpal	aisect e gyan center vill and post charbhatti block pathariya	9826139218
61	bilaspur	mamtadas	aisect e gyan center vill and post rumga block marwahi	9425331147
62	Bilaspur	ManishJain	310 Jain Plaza, CMD Square	9039171745

SN	Suvidha Kendra/Distt	Contact Person	Address	Contact No.
63	BILASPUR	rameshkumarchaubey	airect e gyan center vill and post rajkishore nagar block belha	9752319144
64	bilaspur	sukdewrishidubey	airect e gyan center vill and post dagania block belha	9977617404
65	bilaspur	prabhatmishra	airect e gyan center vill and post sirgitti block belha	9300522388
66	bilaspur	kartikramsidar	airect e gyan center vill and post khaira block kota	9301836521
67	BILASPUR	RAJKU MARTHARWANI	A-14 BAJRANG COMPLEX TELIPARA	9425219764
68	bilaspur	nitinsahu	airect e gyan center vill and post gobripat block kota	9826969787
69	bilaspur	umashankarsahu	airect e gyan center vill and post dashrangpur block mungeli	9303397778
70	BILASPUR	KEDARDASMAHANT	MAIN ROAD	9301815280
71	bilaspur	jitendrakumardatsera	airect e gyan center vill and post akhrar block lormi	9981758524
72	BILASPUR	sanjayharangaonkar	airect e gyan center vill and post bilaspur block belha	9827923546
73	bilaspur	zaheerahamadzunjani	airect e gyan center vill and post majhwani block kota	9329593605
74	bilaspur	krishnakumartiwari	airect e gyan center vill and post shardha block lormi	9981171627
75	BILASPUR	sadanandthakur	airect e gyan center vill and post thakhatpur block thakhatpur	9770406883
76	DANTEWADA	sunilkumarsingh	airect e gyan center vill and post geedam block geedam	9425258546
77	DHAMTARI	chandreshshrivastava	airect e gyan center vill and post bathena block dhamtari	9993322865
78	DHAMTARI	shailendrakumar	airect e gyan center vill and post rudri block dhamtari	7828194899
79	DHAMTARI	vilassadegaonkar	airect e gyan center vill and post dhamtari block dhamtari	9424238595
80	DHAMTARI	abhinawawasthi	airect e gyan center vill and post semra block nagri	9669758847
81	DHAMTARI	MAHESHKUMARSHAMNANI	SHOP NO 8 BHAGWATI LODGE	9827183569
82	DHAMTARI	milindkulkarni	airect e gyan center vill and post potiyadih block dhamtari	9826198725
83	DHAMTARI	salimparveen	airect e gyan center vill and post nagri block nagri	9424211107
84	DHAMTARI	anandmohanawasthi	airect e gyan center vill and post sihawa block nagri	9754963671
85	DHAMTARI	asadkhan	airect e gyan center vill and post dhamtari block dhamtari	9425516208
86	durg	baldevprasadverma	airect e gyan center vill and post darbar mokhali block patan	9630670511
87	durg	akhileshkumar	airect e gyan center vill and post kusmi block berla	9755190393
88	DURG	mahendranirmal	airect e gyan center vill and post durg block durg	9827159071
89	DURG	mdimrankhan	airect e gyan center vill and post bhilai block durg	9425234149
90	DURG	rishiverma	airect e gyan center vill and post bahera block bemetara	9424128284
91	durg	mukeshkumarsahu	airect e gyan center vill and post kurdi block gunderdehi	9977684724
92	durg	kanshirambanjare	airect e gyan center vill and post daunadih block nawagarh	9424135267
93	durg	rajeshkumarharmukh	airect e gyan center vill and post anjora block durg	9424125628
94	durg	snahalatameshram	airect e gyan center vill and post durg block durg	9826992402
95	durg	arjunsahu	airect e gyan center vill and post putpura block nawagarh	9926775205
96	durg	rajcumargandhi	airect e gyan center vill and post durg block durg	9329020897
97	durg	ashokjain	airect e gyan center vill and post chunkatta block patan	9993251517
98	durg	bharatkumarsevaye	airect e gyan center vill and post matiya block saja	9407780238
99	DURG	dhirenkumardas	airect e gyan center vill and post bhilai block durg	9827158249
100	durg	manojkumarsahu	airect e gyan center vill and post gurmi block dondilo hara	9993727943
101	DURG	lalitkumarsahu	airect e gyan center vill and post karhibhader block balod	9993010378
102	durg	pushplatasenpal	airect e gyan center vill and post dhanapuri block gurur	9329765134
103	durg	satywan tamrakar	airect e gyan center vill and post barhapur block dhamdha	9301095944
104	DURG	sunilsinha	airect e gyan center vill and post dhamdha block dhamdha	9893949720
105	durg	khublalsahu	airect e gyan center vill and post sikosa block gunderdehi	9753031487
106	durg	lacchiramshahu	airect e gyan center vill and post mushwadih block saja	9406010879
107	durg	shashikant Yadav	airect e gyan center vill and post murmunda block dhamdha	9893791844
108	durg	chvbhaskar rao	airect e gyan center vill and post charoda block patan	9752512299
109	DURG	alokshrivastava	airect e gyan center vill and post bhilai block durg	9589842950
110	DURG	deeneshwarprasadpatil	airect e gyan center vill and post bhilai block durg	9425556209
111	durg	komakchandrakar	airect e gyan center vill and post machoud block gunderdehi	9302809089
112	durg	soncharansoni	airect e gyan center vill and post mehna block nawagarh	9752395147
113	durg	ashishkhandelwal	airect e gyan center vill and post arjunda	9977223400
114	durg	omprakashsahu	airect e gyan center vill and post badgaon block dondilo hara	9406091640
115	durg	topendrasingh	airect e gyan center vill post chhirha block bemetra	9425561440
116	durg	avinashchandrakar	airect e gyan center vill and post aondhi block patan	9752606777
117	durg	ghanshyampatel	airect e gyan center vill and post thankhamaria block saja	8109636963
118	durg	pushplatasahu	airect e gyan center vill and post thekha block saja	9617785970
119	durg	rajeshwarisahu	airect e gyan center vill and post surdung block dhamdh	9098004509
120	durg	shivkumarnirmalkar	airect e gyan center vill and post lawatara block bemetra	9977109704
121	DURG	arvindersingh	airect e gyan center vill and post bhilai block durg	9827164761
122	DURG	NEERAJANTPANDEY	ADARSH NAGAR	9893542222
123	durg	komalkumarsahu	airect e gyan center vill and post lawatara block berla	9669765003
124	durg	hiteshdewangan	airect e gyan center vill and post chandanbirahi block gunderdehi	9303499550

SN	Suvidha Kendra/Distt	Contact Person	Address	Contact No.
125	durg	rkshrivastav	aisect e gyan centre vill and post bhilai block durg	9406069141
126	DURG	SAURABHKULKARNI	TOPE BUILDING DEEPAK NAGER DURG CHHATTISGARH	9827969249
127	durg	tribhuwansahu	aisect e gyan centre vill and post kaneri block gurur	9977271217
128	DURG	jaspreetkaur	aisect e gyan centre vill and post bhilai block durg	9827164761
129	durg	lalluramsahu	aisect e gyan centre vill and post kochwahi block gurur	9961714381
130	DURG	manishparakh	aisect e gyan centre vill and post durg block durg	9425235009
131	durg	navinkumarsahu	aisect e gyan centre vill and post pupur block gurur	9424436214
132	durg	rameshkumarverma	aisect e gyan center vill post narayanpur block nawagarh	9977883803
133	durg	satnamkourgumber	aisect e gyan center vill and post maro block nawagarh	9301530181
134	Durg	KamnaSachdeva	C/o Sai College, Street 69, Sector 6, Bhilai, Chhattisgarh	9826116968
135	DURG	So meshJain	131, New Civic Centre, Bhilai	9827106561
136	durg	joggramverma	aisect e gyan centre vill and post khamtarai block berla	9300902993
137	durg	rajeshkumartamrakar	aisect e gyan center vill and post tarrighat block patan	9981366513
138	durg	ravisinghrajput	aisect e gyan centre vill and post madesara block dhamdha	99265146743
139	durg	riteshsinha	aisect e gyan centre vill and post sankri block gunderdehi	7697159940
140	DURG	rupendrasinghchouhan	aisect e gyan centre vill and post tivaraya block berla	9981347368
141	DURG	RU PESHKUMARJAIN	ARIHANT COMPUTERS AND PAPERS SHOP 45 SECTOR 9 MARKET BHILAI	9425243556
142	durg	rakeshkumartikriha	aisect e gyan centre vill and post bhimbhouri block berla	9827317417
143	durg	krishnlalsahu	aisect e gyan centre vill and post kodwa block berla	9424113147
144	durg	sultanrizvi	aisect e gyan centre vill and post chhirha block bemetra	9752420264
145	durg	tikeshkumarsahu	aisect e gyan centre vill and post sarda block berla	9179160695
146	durg	pratimasahu	aisect e gyan center vill and post jano block saja	9406348430
147	durg	suvernapadke	aisect e gyan centre vill and post kuntela bhata block durg	9424108568
148	DURG	SubodhChauhan	Opp Swaroop Talkies Near Bank of Baroda Station Road Durg	9302813000
149	gariyabad	balramdevgan	aisect e gyan centre vill and post rajim block fingshwar	9826526082
150	janghir champa	roshnisahare	aisect e gyan centre vill and post pamgarh block pamgarh	9425537986
151	janghir champa	anandkumarjain	aisect e gyan centre vill and post akaltara block akaltara	9993797425
152	janghir champa	vikaschoubey	aisect e gyan centre vill and post balod block janjir champa	9993802068
153	janghir champa	ravindrakesarwani	aisect e gyan centre vill and post kharod block pamgarh	8109867886
154	janghir champa	vimalagrawal	aisect e gyan centre vill and post balod block balod	9300256164
155	janghir champa	ram narehsinghyadav	aisect e gyan centre vill and post sakti block sakti	9302854597
156	janghir champa	rishabhathayogi	aisect e gyan centre vill and post rahod block pamgarh	9907149782
157	JANJIR	MONTUKESHARWANI	MAIN ROAD	9039670202
158	JANJIR	ABHILASHSONI	MAIN ROAD	9893558515
159	JANJIR	SANTOSHGUPTA	MAIN ROAD	9584428073
160	JANJIR CHAMPA	khageshwarprasadchandra	aisect e gyan centre vill and post jaijaipur block jaijaipur	9329205681
161	JANJIR CHAMPA	rathramsahu	aisect e gyan centre vill and post kirit block nawagarh	9752474868
162	janjir champa	ramkantsahu	aisect e gyan center vill and post tundri block dhabhara	9993908904
163	janjir champa	sarawanlalchandra	aisect e gyan center vill and post bhothidih block jaijaipur	9575474860
164	janjir champa	bhushanprasadsahu	aisect e gyan center vill and post semara block nawagarh	9993300416
165	janjir champa	devendrakumaramdeo	aisect e gyan center vill and post birra block bahmanidih	9981642212
166	JANJIR CHAMPA	KHEMKUMARTAMBOLI	NEAR BAS STAND, IN FRONT OF STATE BANK OF INDA SAKTI	7509087666
167	JANJIR CHAMPA	RahuIMPati	C TECH COMPUTER EDUCATION Opp Bhalera Stadium Main Road Champa	9826121650
168	janjir champa	santoshkumarjwala	aisect e gyan center vill and post rasouta block pamgarh	9981964805
169	janjir champa	baldharkumbhakar	aisect e gyan center vill and post sarwani block bahmanidih	9981632694
170	janjir champa	khileshwarjaiswal	aisect e gyan center vill and post sendari block sakti	9691816325
171	janjir champa	rajendraprasadmaitry	aisect e gyan center vill and post purena burha block dhabhara	9300260264
172	janjir champa	devnarayanjangde	aisect e gyan center vill and post kirkda block jaijaipur	9993629105
173	JANJIR CHAMPA	rajeevlochan singhthakur	aisect e gyan centre vill and post sakti block sakti	9425543270
174	janjir champa	vikashkesharwani	aisect e gyan center vill and post kurda block baloda	9893536609
175	janjir champa	basantkumarpatel	aisect e gyan center vill and post sapos block dhabhara	7697671965
176	janjir champa	dadoorammanhar	aisect e gyan center vill and post kachanda block jaijaipur	9993098097
177	janjir champa	rajguravgoyal	aisect e gyan center vill and post khoksha block nawagarh	9826819140
178	janjir champa	laxmichandra	aisect e gyan center vill and post odekera block jaijaipur	9406147912
179	janjir champa	manojkumarpatle	aisect e gyan center vill and post rasouta block baloda	9755306172
180	janjir champa	atulsinghgautam	aisect e gyan center vill and post kapan block akaltara	9981830323
181	janjir champa	chandrashekhar	aisect e gyan center vill and post pamgarh block pamgarh	9425537986
182	janjir champa	mahendrakumarhansh	aisect e gyan center vill and post seoni naila block nawagarh	9406106099
183	janjir champa	onkarprasadraysagar	aisect e gyan center vill and post sasaha block pamgarh	9752987449
184	janjir champa	samarjeetsinghraj	aisect e gyan center vill and post lagra block pamgarh	9981508268
185	janjir champa	bhupendrakumarsahu	aisect e gyan center vill and post kotmi sonar block akaltara	9993743512
186	janjir champa	komalprasadpatel	aisect e gyan center vill and post akol jamora block dhabhara	9755992925

SN	Suvidha Kendra/Distt	Contact Person	Address	Contact No.
187	janjgir champa	ankitjain	aisect e gyan center vill and post nariyana block akaltara	9425230870
188	janjgir champa	rekhasao	aisect e gyan center vill and post sarkhon block nawagarh	9826190315
189	JANJGIR CHAMPA	moolchandgupta	aisect e gyan centre vill and post champa block bahmindi h	9893629570
190	janjgir champa	vishnukumarsuryavanshi	aisect e gyan center vill and post sarhar block bahmanidih	9479167310
191	janjgir champa	bhageerathisahu	aisect e gyan center vill and post badesipat block malkharoda	9755817894
192	janjgir champa	manoharminz	aisect e gyan center vill and post duldula block duldula	9406124596
193	janjgir champa	anitabhardwaj	aisect e gyan center vill and post bhiloni block pamgarh	9617608049
194	janjgir champa	vinodmahant	aisect e gyan center vill and post birghani block baloda	9755919546
195	janjgir champa	anitarathore	aisect e gyan center vill and post sukli block nawagarh	9926176499
196	janjgir champa	foolwadevianant	aisect e gyan center vill and post rahod block amgarh	9981005514
197	janjgir champa	makanhalsahu	aisect e gyan center vill and post meu block pamgarh	9098155950
198	janjgir champa	ramnarehsinghyadav	aisect e gyan center vill and post malkharoda block malkharoda	9691012426
199	janjgir champa	arvinndkumartiwari	aisect csc center vill and post janjgirchampa block nawagarh	9425227921
200	janjgir champa	rajeshkatakwar	aisect e gyan center vill and post sheorinarayan block nawagarh	9425521186
201	JASHPUR	NAVNEETKUMARSHARMA	KARBALA CHOWK JASHPUR	9425252975
202	jashpur	navneetkumarsharma	aisect e gyan centre vill and post jashpur block jashpur	9425252975
203	jashpur	kksinha	aisect e gyan centre vill and post kunkuri block kunkuri	9425574117
204	JASHPUR	GULABCHANDJAIN	PURANI TOLI	9407612345
205	jashpur	ravindrakpradhan	aisect e gyan centre vill and post ludeg block pathalgaon	9691304050
206	jashpur	mahaveerprasad	aisect e gyan center vill and post pathalgaon block pathalgaon	8103569669
207	kabeerdham	balajigupta	aisect e gyan center vill and post singhanpuri block kabirdham	9424130721
208	kabeerdham	lomelalsahu	aisect e gyan center vill and post mahgaon block bodla	9179864496
209	kabeerdham	lomashkumar	aisect e gyan center vill and post raitapara block pandariya	9009303168
210	kabeerdham	rajeshkumarsahu	aisect e gyan center vill post pandatarai block pandariya	9755911659
211	kabeerdham	yu vrajasinghthakur	aisect e gyan center vill and post barpelatola block kabirdham	9302922300
212	kabeerdham	sureshkumarsahu	aisect e gyan center vill and post kapadaha block pandariya	8103982907
213	kabeerdham	rakeshkumar marchandrakar	aisect e gyan center vill and post kunda block pandariya	9893750760
214	kabeerdham	bharatsahu	aisect e gyan center vill and post ranveerpur block s.lohara	9993221059
215	kabeerdham	san deepjaiswal	aisect e gyan center vill and post bodla block bodla	9755306579
216	kabeerdham	ashokkumarsahu	aisect e gyan center vill and post godwagoda block pandariya	9630673908
217	kabeerdham	naren drasingh thakur	aisect e gyan center vill and post lalpur block kabirdham	9893601234
218	kabeerdham	raghaven drasinghsoni	aisect e gyan center vill and post pipariya block kabirdham	9406208005
219	kabeerdham	dhanjayprasad kaushik	aisect e gyan center vill and post birkona block kabirdham	9752504045
220	kabeerdham	yu galkishorerajwade	aisect e gyan center vill and post kui block pandariya	9752682487
221	kabeerdham	dharampalkaushik	aisect e gyan center vill post oriya khurd block s.lohara	9893632903
222	kabirdham	vi jayjaiswal	aisect e gyan centre vill and post pandariya block pandariya	9893242124
223	kabirdham	jagendrashrivastava	aisect e gyan centre vill and post kawardaha block kawardaha	9406306725
224	KABIRDHAM	abdulajazkhan	aisect e gyan centre vill and post kawardaha block kawardaha	9301144420
225	KABIRDHAM	amitkumaravtare	aisect e gyan centre vill and post kawardaha block kawardaha	9926126222
226	kanker	rajendramishra	aisect e gyan centre vill and post kanker block kanker	9425590796
227	KANKER	manishwalmiky	aisect e gyan centre vill and post charama block charama	8103518403
228	KANKER	rukhmanisahu	aisect e gyan centre vill and post chawand block narharpur	9827863147
229	kanker	MOHAMMADDirishdebhar	republic stationery mart main road	9425259038
230	kawardha	sourabhshrivastava	aisect e gyan centre vill and post shaspur lohara block s.lohara	9098538575
231	khatgorha	ravikulmarshrivastav	aisect e gyan centre vill and post khatgora block kathgora	9893135200
232	kondagaon	komal singhmarkam	aisect e gyan centre vill and post kahalari block baderajpur	9754672806
233	KONDAGAON	sanjeevsharma	aisect e gyan centre vill and post kondagaon block kondagaon	9425591800
234	kondagaon	sanjeevsharma	aisect e gyan centre vill and post baniyagaon block kondagaon	9826561053
235	KONDAGAON	jiyotikumar	aisect e gyan centre vill and post pharasaon block pharasaon	9691345338
236	KONDAGAON	shashikumarjain	aisect e gyan centre vill and post keshkal block keshkal	9406105315
237	KONDAGAON	MOHAMMADRAFIQJANKABIR	SHAOKEEN INDIA OPP ENGLISH WINE SHOP	8602412877
238	korba	vidyadharsinghmarawi	aisect e gyan centre vill and post sutarra block podiuproda	9617388414
239	korba	kanhaiyarathore	aisect e gyan centre vill and post rajgamar block korba	9993247759
240	korba	shivdayalrajak	aisect e gyan centre vill and post kartala block kartala	9229435816
241	korba	shakuntalarathore	aisect e gyan center vill and post jamni pali block korba	9827233063
242	KORBA	shivshankarsahu	aisect e gyan centre vill and post salora block katghora	9752474748
243	korba	adeshkumarsoni	aisect e gyan center vill and post dipka block katghora	9826117741
244	korba	nareshsoni	aisect e gyan centre vill and post baikuntpur block baikuntpur	9826561053
245	korba	anilkumardhruw	aisect e gyan centre vill and post dodki block pali	8085080279
246	KORBA	manishkumaranant	aisect e gyan centre vill and post binjra block katghora	9893210455
247	korba	rupeshkumarportey	aisect e gyan centre vill and post silli block pali	9617388414
248	korba	shekhshahnawaz	aisect e gyan centre vill and post sohagpur block kartala	9301787762

SN	Suvidha Kendra/Distt	Contact Person	Address	Contact No.
249	korba	sukhdevprajapati	airect e gyan centre vill and post jamnipali block katgorha	9827921313
250	KORBA	mahendramahato	airect e gyan centre vill and post barpali block kartala	9827497768
251	korba	manojkumarsoni	airect e gyan centre vill and post makhanpur block pali	9617388414
252	korba	pankajdubey	airect e gyan centre vill and post pondi block pali	9617388414
253	korba	rameshkumarahir	airect e gyan centre vill and post rajkamma block korba	9406302201
254	korba	narayanjaiswal	airect e gyan centre vill and post pasan block podiuproda	9617388414
255	korba	ravikantsharma	airect e gyan centre vill and post jhabar block katghora	9617388414
256	korba	guddisingh	airect e gyan centre vill and post sonpuri block korba	9617388414
257	korba	hargovindixena	airect e gyan centre vill and post pali block pali	9617388414
258	korba	phoolmatikorche	airect e gyan centre vill and post amlikunda block podiuproda	9617388414
259	korba	priyasahu	airect e gyan center vill and post korba block korba	9989677986
260	KORBA	niveditapandey	airect e gyan centre vill and post chaitama block pali	9329273418
261	korba	manojkumarprajapati	airect e gyan centre vill and post chaitama block korba	9617388414
262	korba	naveensoni	airect e gyan centre vill and post biltikeri block katghora	9425545137
263	korba	raghven drapan dey	airect e gyan centre vill and post lafha block pali	9617388414
264	korba	rameshwarprasadkaiwart	airect e gyan centre vill and post chhurikala block katghora	9617388414
265	korba	onkarsinghrathore	airect e gyan centre vill and post gopalpur block katghora	9617388414
266	korba	renuaggarwal	airect e gyan centre vill and post korkomma block korba	9617388414
267	korba	deepchanddewangan	airect e gyan centre vill and post umreli block kartala	9617388414
268	KORBA	DINESH THARWANI	MADHUR COURIER SERVICES B-10 GHANTAGHAR COMPLEX NIHARIKAS RD KORBA	8103033233
269	korba	pameshwaryadav	airect e gyan centre vill and post korba block korba	9827162885
270	korba	rasminayak	airect e gyan centre vill and post tanikhar block katghora	9617388414
271	korba	chatrabhu wansingh	airect e gyan centre vill and post chaitma block pali	9303012550
272	KORBA	kuntidevi	airect e gyan centre vill and post pali block podi uproda	9826463509
273	korba	chavviprakashkeshar	airect e gyan centre vill and post machadoli block podiuproda	9617388414
274	korea	sunitakumari	airect e gyan center vill and post khadigawan block khadigawan	9907939299
275	korea	mohammandbarik	airect e gyan center vill and post jharkhand mahendragarh	9630320512
276	KOREA	PUNNULALKEWAT	AT/POST KOREA COLLIERY CHIRIMIRI	9425586683
277	koriya	yasrabimrankhan	airect e gyan centre vill and post haldibadi block khadagaon	9425580000
278	koriya	sujeetkumar	airect e gyan centre vill and post chiermiri block khadgaon	9981551628
279	koriya	rameshdubey	airect e gyan centre vill and post nagpura block mahendragarh	9893764904
280	koriya	rajkumar	airect e gyan centre vill and post domanhill block khadgaon	9424259497
281	koriya	rajkumarsahu	airect e gyan centre vill and post sonhat block sonhat	7389842534
282	koriya	akbarrizivi	airect e gyan centre vill and post mahendragarh block mahendragarh	9826829727
283	kumhari	RajkumarBajaj	Station chowk G E road	9300200609
284	mahasamund	plpatel	airect e gyan centre vill and post bansa block bansa	9893346362
285	mahasamund	shyamlalpatel	airect e gyan centre vill and post pithora block pithora	9977514102
286	mahasamund	AwadheshAgrawal	main road	9424202447
287	MUNGELI	RAHULNANHORIYA	OLD BUS STAND	9300361072
288	narayanpur	manishrajput	airect e gyan center vill and post narayanpur block narayanpur	9425518385
289	raigarh	meerapurkayastha	airect e gyan center vill and post dharamjaigarh block dharamjaigarh	9691601545
290	RAIGARH	OMPRAKASHDALMIYA	NEAR KABOOTARKHANA GANDHIGANJ	9301010500
291	raigarh	seemarathore	airect e gyan center vill and post kharsia block kharsia	9691353753
292	raigarh	bishwajitsarkar	airect e gyan center vill and post raigarh block raigarh	9425252051
293	raigarh	hirabhaskar	airect e gyan center voll and post sarangarh block sarangarh	9329263653
294	raigarh	santoshkumarsahu	airect e gyan center vill and post pussore block pussore	9893112364
295	RAIGARH	NAWALKISHOREKESHARWANI	GUPTA COMPUTER EDUCATION NANDA CHOWK KACHHAHARI ROAD SARANGARH TEH SARANGARH	9425250056
296	raigarh	mohsharifansari	airect e gyan center vill and post changorabhata block abhanpur	9993285811
297	RAIPUR	VIJAYVAJRE	OPP BUNKAR SOCIETY G E ROAD	9826173204
298	raipur	bipulbiswas	airect e gyan centre vill and post matoli block koilibeda	9424275887
299	RAIPUR	KAPILKUMARGOHIYA	Shop No 1 Gudhiyari Road Shrinagar Near Hotel Paradise Khamtarai Raipur	9329679877
300	raipur	saurabh nagwan shi	airect e gyan centre vill and post pandripani block kanker	9713675128
301	raipur	vi nitsaxena	airect e gyan centre vill and post koilibeda block koilibeda	9630670665
302	Raipur	ManvendraSingh	Shop No 44, Shaheed Veer Narayan Singh Parisar, Nagar Ghadi Chowk Raipur	9425213394
303	RAIPUR	MOUSAMJAIN	NEAR RKC INFRONT OF KARBALA TALAAB CHOUBEY COLONY	9893451751
304	RAIPUR	sunilkumarvaishnaw	airect e gyan centre vill and post pandari block dharsiwa	9827183012
305	raipur	abhaykumarsingh	airect e gyan centre vill and post raipur block dharsawi	9826315613
306	raipur	gopalyadav	airect e gyan centre vill and post bewarti block kanker	9754963494
307	raipur	surendrapandey	airect e gyan centre vill and post korar block koilibeda	9406094418
308	raipur	AnshulAgrawal	Pipe factory road Near hanuman mandir New shanti nagar	9977883933
309	raipur	bsiddharthrao	DR.PATEL KE GHAR KE SAMNE NEW SHANTI NAGAR RAIPUR CHHATTISGARH 492001	9993855568



SN	Suvidha Kendra/Distt	Contact Person	Address	Contact No.
310	raipur	kamleshkumargagda	aisect e gyan centre vill and post mudhpar block narharpur	9575170342
311	RAIPUR	rameshwarchandrakar	aisect e gyan centre vill and post arang block arang	9826322616
312	Raipur	SourabhGhatge	Chottapara oppo govt J.N Pan dey h.s School	7869785082
313	RAIPUR	YASHWANTKUMARSAHU	OPP POST OFFICE TELIBANDHA	9300209839
314	RAIPUR	MAYURMOTWANI	53 TEXTILE MARKET PANDRI	9827106460
315	raipur	namitaday	aisect e gyan centre vill and post dadekapsi block kanker	9406001313
316	RAIPUR	SURESHBAJAJ	1ST FLOOR PUNIABAI AHIR DHARAMSHALA STATION ROAD	9826133231
317	raipur	lokeshsahu	aisect e gyan centre vill and post charama block charama	9406122149
318	raipur	uttamhawalldhar	aisect e gyan centre vill and post bandacoloney block koilibeda	9406094406
319	raipur	ku bergajendra	aisect e gyan centre vill and post jaisakarra block charama	9424275131
320	RAIPUR	rajeshkumarsahu	aisect e gyan centre vill and post bhanpuri block dharsiwa	9300982472
321	raipur	sanjayshil	aisect e gyan centre vill and post pakhanjore block koilibeda	9406000568
322	RAIPUR	SUNILBAJAJ	D-12 NEW BOMBAY MARKET G.E.ROAD	9303995777
323	RAIPUR	VICKYKUMARTOLANI	STREET NO 7 OPPST SHAKTI DHAM TELIBANDHA RAIPUR	9300411151
324	RAIPUR	janikramverma	aisect e gyan centre vill and post palari block palari	9993829324
325	Raipur	AvinashAgrawal	House No J 173 Janta Colony Gudhiyari	9926118255
326	raipur	dineshpanda	aisect e gyan centre vill and post sambalpur block bhanupratappur	9406027375
327	raipur	RajeshAgrawal	Thawait Bhawan Main Road Kankalipara Navbharat Chowk Raipiur	9425212773
328	Raipur	MOHAMMAD AASIFKHAN	SHOP NO C-13, SHRI SAI BABA COMPLEX, GOLE CHOWK, ROHINIPURAM, RAIPUR	9691611588
329	RAIPUR	MOHAMMADMUBEENQURESHI	OPP SUKHSAGAR RESTAURANT PHOOL CHOWK G E ROAD	9827461337
330	RAIPUR	pratapsinghradhan	aisect e gyan centre vill and post raipur block dharsiwa	9630164516
331	raipur	abhisheksrivastava	aisect e gyan centre vill and post antagarh block antagarh	9993526783
332	Raipur	Smt RitaQureshi	Block C Moti Bagh Chowk Modern Complex Near Food Zone Raipur	9826120061
333	RAIPUR	VINITADEVIKESHARWANI	Near Deepak Tent House Ashwani Nagar	9302458951
334	RAIPUR	dinbandhusahu	aisect e gyan centre vill and post raipur block dharsiwa	9424216157
335	RAIPUR	narendrasahu	aisect e gyan centre vill and post kharora block tilda	9424222204
336	Raipur	VaibhavPatel	Beside NH 30 Main Road Bastar	9098782790
337	Raipur	AnkitAgrawal	Shyam Typing Institute, Near Shyam Talkis, Budha Para Raipur	9893162450
338	RAIPUR	HARUNKHAN	LUCKY COMPUTER CAFE - VIDYA BHAVAN MAHADEV GHAT ROAD RAIPURA	9329239685
339	raipur	MUHAMMADTARIQASHRAFI	SAKTI MARKET ROAD OPPSITE ZEE MAHASEL DHOBI GALI BAIJNATHPARA RAIPUR	9300780300
340	Raipur	PRAVEENSINGH	PITAMBARA ONLINE, BESIDE DR. SARABHAI NURSING HOME, SUNDER NAGAR CHOWK, MAHADEV GHAT ROAD, RAIPUR	7489992794
341	raipur	rameshthakur	aisect e gyan centre vill and post kanker block kanker	9425261817
342	raipur	lileshinghthakur	aisect e gyan centre vill and post lakhapuri block charama	9300428041
343	RAIPUR	PAWANAGRAWAL	2ND FLOOR ASHIRWAD TOWER G E ROAD	9826144321
344	raipur	chandraprakashvastrakar	aisect e gyan centre vill and post bhandardigi block durgukondal	9425593503
345	raipur	dhaneshwari	aisect e gyan centre vill and post aroud block charama	9425593857
346	raipur	ganeshsinghparihar	aisect e gyan centre vill and post mandirhasaud block arang	9926137972
347	raipur	heerabhasker	aisect e gyan centre vill and post mowa block dharsiwa	9981673566
348	raipur	mithunkumarpatel	aisect e gyan centre vill and post murdongri block kanker	9479283981
349	raipur	rakeshsinghrajput	aisect e gyan centre vill and post dhanelikanhar block kanker	9926122754
350	RAIPUR	shashikantverma	aisect e gyan centre vill and post raipur block dharsiwa	9826151135
351	RAIPUR	NeeleshBansal	Agrawal ComputerOpp. Satkar Hotel, Near Dadhich, Station Road, Raipur	9303099022
352	RAJNANDGAON	yohanmasih	aisect e gyan centre vill and post bharritolla block manpur	9424138688
353	rajnandgaon	gulabchandnirmalkar	aisect e gyan centre vill and post salhe block chhuria	9302236514
354	rajnandgaon	phagooramshoo	aisect e gyan centre vill and post chhuria block chhuria	9407671960
355	RAJNANDGAON	pawankumarsahu	aisect e gyan centre vill and post bazarataria block khairagarh	9300483350
356	RAJNANDGAON	rajeshroshandewangan	aisect e gyan centre vill and post thelkadih block khairagarh	9407685566
357	rajnandgaon	champatraorewatar	jaistamb chowk	9302467778
358	rajnandgaon	domenkumarpatel	aisect e gyan centre vill and post kallubanjari block chhuria	9630672102
359	RAJNANDGAON	lalmanisinha	aisect e gyan centre vill and post khujji block dongargaon	9302397444
360	RAJNANDGAON	klsoni	aisect e gyan centre vill and post dongargaon block dongargaon	9893967284
361	RAJNANDGAON	noharramsahu	aisect e gyan centre vill and post margaoon block dongargaon	9669039315
362	rajnandgaon	varsatamrkar	aisect e gyan centre vill and post pendawani block chhuikhadan	9424105111
363	RAJNANDGAON	vijaykhare	aisect e gyan centre vill and post rajnandgaon block rajnandgaon	9300725550
364	RAJNANDGAON	deven drakumarpatel	aisect e gyan centre vill and post tumdibod block dongargaon	9685430539
365	rajnandgaon	bhejeshwariganjeer	aisect e gyan centre vill and post attargaon block chhuria	9752507414
366	RAJNANDGAON	motidasmankpuri	aisect e gyan centre vill and post rengakathera	9479172902
367	Rajnandgaon	PrashantDixit	Behind Shri Hunaman mindir Shitala Mandir Road Gandhi Chowk Rajnandgaon	9827185566
368	RAJNANDGAON	kamtaprasadbhanzare	aisect e gyan centre vill and post jalbandha block khairagarh	9589917743
369	rajnandgaon	mahendrasahu	aisect e gyan centre vill and post road ataria block chhuikhadan	9691500657
370	rajnandgaon	rohitkumarjanglehel	aisect e gyan centre vill and post chkanar block chhuikhadan	9098981260
371	RAJNANDGAON	tuleshkumar	aisect e gyan centre vill and post murmunda block dongargaon	9589083071

SN	Suvidha Kendra/Distt	Contact Person	Address	Contact No.
372	rajnandgaon	leenasingh	aisect e gyan centre vill and post udan block chhuikhadan	9691411532
373	RAJNANDGAON	RAJATJAIN	C/OSWARNA SADI CENTER, CHOWKI ROAD, DONGARGAON	9993457900
374	RAJNANDGAON	indiravaishnav	aisect e gyan centre vill and post kurshtikul block rajnandgaon	9993476824
375	RAJNANDGAON	dilipverma	aisect e gyan centre vill and post pandadah block khairagarh	9300745242
376	surajpur	kusumkashyap	aisect e gyan center vill and post pratappur block pratppur	9424255074
377	surajpur	deepadewangan	aisect e gyan center vill and post surahpur block surajpur	9981642330
378	surajpur	aashishkumarcharan	aisect e gyan center vill and post bishrampur block surajpur	9826452127
379	SURGUJA	SUSHMASHRESTHA	DEVIGANJ ROAD	9826484123
380	surguja	sunilkashyap	aisect e gyan center vill an post ambikapur block ambikapur	9424255074
381	SURGUJA	mdparwezalam	aisect e gyan centre vill and post sitapur block sitapur	9424261584
382	surguja	vinitadubey	aisect e gyan center vill and post rajpur block rajpur	9977152640
383	SURGUJA	CHANDRESHGUPTA	MALVIYA MARKET DEVIGANJ ROAD AMBIKAPUR	9826831073
384	SURGUJA	JAYASHARMA	Sheetal Ins. Of Computer Science School Road, Company Bazar, Beside Mobile Tower	9009172349
385	SURGUJA	RINUJAIN	NEAR JAISWAL CHITRA MANDIR DEVIGANJ ROAD	9826612781
386	surguja	kishorkumarbajrani	madhur courier shivram complex deviganj roadway ambikapur	9827496888
387	tilda	narayanprasadsharma	ward no 14 bazarpara	9300678040